न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870

न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870

The Court Fees Act, 1870

(1870 का अधिनियम संख्या 7)

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार और अधिनियम का प्रारम्भ
2.	परिभाषायें
3.	उच्च न्यायालयों की आरम्भिक शाखाओं मे शुल्कों का उद्ग्रहण
4.	उन दस्तावेजों पर शुल्क, जो उच्च न्यायालयों में उनकी साधारण या असाधारण अधिकारिता में फाइल, आदि की गयी हैं-
5.	शुल्क की आवश्यकता या रकम की बाबत मतभेद होने की दशा में प्रक्रिया
	अध्याय 3 अन्य न्यायालयों में और लोक कार्यालयों में शुल्क
6.	मुफस्सिल न्यायालयों में या लोक कार्यालयों में फाइल, आदि की गयी दस्तावेजों पर शुल्क
6-क.	न्यायालय शुल्क संदाय करने के आदेश के विरूद्ध अपील-
6-ख.	न्यायालय के आदेश के पुनरीक्षण के लिए स्टाम्प आयुक्त द्वारा आवेदन
6-ग.	मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा उच्च न्यायालय को निर्देश
7.	कतिपय वादों में संदेय शुल्कों की संगणना
8.	प्रतिकर सम्बन्धी आदेश के विरूद्ध अपील के ज्ञापन पर शुल्क
9.	शुद्ध लाभ या बाजार मूल्य अभिनिश्चित करने की शक्ति
10.	प्रक्रिया जहाँ शुद्ध लाभ या बाजार मूल्य गलत तौर पर प्राक्कलित हुआ है
11.	अन्तःकालीन लाभों या लेखा के लिए वादों में प्रक्रिया जब डिक्रीत रकम दावाकृत रकम से अधिक है
12.	मूल्यांकन सम्बन्धी प्रश्नों का विनिश्चय
13.	अपील के ज्ञापन पर संदत्त शुल्क की वापसी
14.	निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन के शुल्क की वापसी
15.	जहां न्यायालय अपना पूर्व विनश्चिय भूल के आधार पर उलट देता है या उपान्तरित कर देता है, वहां शुल्क की वापसी
16.	फीस की वापसी
17.	बाहुल्यपूर्ण वाद
18.	परिवादियों की लिखित परीक्षा

19.	कतिपय दस्तावेजों को छूट
	अध्याय 3-क प्रोबेट, प्रशासन-पत्र और प्रशासन प्रमाण-पत्र
19-क.	जहाँ बहुत अधिक न्यायालय शुल्क संदत्त किया गया हो, वहां अवमुक्ति
19-ख.	जहां वे ऋण जो मृत व्यक्ति द्वारा शोध्य थे उसकी सम्पदा में से चुकाये गये हैं, वहां अवमुक्ति
19-ग.	अनेक अनुदानों की दशा में अवमुक्ति
19-घ.	न्यास सम्पत्ति के बारे से प्रोबेटों की विधिमान्यता की घोषणा, यद्यपि वह सम्पत्ति न्यायालय शुल्क देने में सम्मिलित नहीं की गयी है
19-ड.	उस दशा के लिए उपबन्ध जब प्रोबेट आदि पर बहुत कम न्यायालय शुल्क संदत्त किया गया है
19-च.	धारा 19-ड. के अधीन प्रशासन-पत्र स्टाम्पित किये जाने के पहले प्रशासक उचित प्रतिभूति देगा
19-छ	न्यून संदाय का पता लगाने के छह माह के भीत निष्पादकों आदि का प्रोबेट आदि पर पूर्ण न्यायालय शुल्क का संदाय न करना
19-ज.	प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के आवेदनों की सूचना का राजस्व प्राधिकारियों को दिया जाना और उस पर प्रक्रिया
19-झ.	प्रोबेट और प्रशासन-पत्र के बारे में न्यायालय शुल्क का संदाय
19-ञ	शास्तियों आदि की वसूली
19-ट.	प्रोबेटों या प्रशासन पत्रों को धारा 6 और 28 का लागू न होना
	अध्याय IV नियम बनाने की शक्ति
20.	उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति
21.	मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी की नियम बनाने की शक्ति
22.	उ0प्र0 अधिनियम संख्या 19 वर्ष 1938 की धारा 24 द्वारा निरस्त
23.	उ0प्र0 अधिनियम संख्या 19 वर्ष 1938 की धारा 24 द्वारा निरस्त
24.	उ0प्र0 अधिनियम संख्या 12 वर्ष 1891 द्वारा निरस्त
	अध्याय v शुल्को के उद्ग्रहण के ढंग के विषय में
24-क.	न्यायालय शुल्क का नियन्त्रक राजस्व और स्टाम्प आयुक्त
25.	शुल्कों की स्टाम्प द्वारा वसूली
25-क.	नकदी में न्यायालय शुल्क की अदायगी
26.	स्टाम्पों का छापित या आसंजक होना
27.	स्टाम्पों की आपूर्ति संख्या, नवीकरण तथा का लेखा रखने के लिए नियम
28.	अनवधानता से ली गई दस्तावेज को स्टाम्पित किया जाना

29.	संशोधित दस्तावेज
30.	स्टाम्प का रद्द किया जाना
30-क.	प्रतिदाय
अध्याय VI प्रकीर्ण	
31.	अधिनियम संख्या 18 वर्ष 1923 द्वारा निरस्त
32.	अधिनियम संख्या 12 वर्ष 1891 द्वारा निरस्त
33.	दाण्डिक मामलों में ऐसे दस्तावेजों का ग्रहण किया जाना, जिनके लिए उचित शुल्क संदत्त नही की गई है
34.	स्टाम्पों से सम्बन्धित नियम को भंग करने एवं उनकी अनधिकृत बिक्री के लिए शास्ति
35.	शुल्क को कम करने या उसका परिहार्य करने की शक्ति
36.	उच्च न्यायालयों के कुछ अधिकारियों की शुल्कों के बारे में व्यावृत्ति
37.	. . . . .
	अनुसूची I
	अनुसूची II
	अनुसूची III

न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870

The Court Fees Act, 1870

(1870 का अधिनियम संख्या 7)

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1-संक्षिप्त नाम, विस्तार और अधिनियम का प्रारम्भ- यह अधिनियम न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 कहा जा सकेगा।

इसका विस्तार उन राज्य क्षेत्रों के सिवाय, जो 1 नबम्बर, 1956 के ठीक पहले भाग ''ख'' राज्यों में समाविष्ट थे, सम्पूर्ण भारत पर है।

और यह वर्ष 1870 को अप्रैल के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगा।

1-क 'समुचित सरकार' की परिभाषा- इस अधिनियम में 'समुचित सरकार' से, केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवा करने वाले किसी अधिकारी के समक्ष पेश की गयी या पेश की जाने वाली दस्तावेजों सम्बन्धी शुल्कों या स्टाम्पों के सम्बन्ध

में केन्द्रीय सरकार, और अन्य शुल्कों के सम्बन्ध में राज्य सरकार अभिप्रेत है।

2-परिभाषायें- इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, तब तक-

(1) 'अपील' में प्रत्याक्षेप सम्मिलित है,

(2) 'कलेक्टर' से अभिप्रेत ऐसा अधिकारी है, जिसकी नियुक्ति कलेक्टर द्वारा की गयी हो और वह उप-कलेक्टर से कम पद का न हो जिसने इस अधिनियम के अन्तर्गत मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी से कलेक्टर के कार्य करने की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली हो।

(3) 'राजस्व' से ऐसा भू-राजस्व अभिप्रेत है जैसा कि कलेक्टर के रजिस्टर में अभिलिखित है, जिसमें किसी प्रकार का उपकर नहीं है।

(4) 'वाद' वाद में डिक्री से प्रथम एवं द्वितीय अपील और (लेटर्स पेटेण्ट अपील) भी सम्मिलित है।

अध्याय 2

उच्च न्यायालय में और प्रेसिडेंसी नगरों के लघुवाद न्यायालयों में शुल्क

3-**उच्च न्यायालयों की आरम्भिक शाखाओं मे शुल्कों का उद्ग्रहण**- वे शुल्क जो केरल, मैसूर और राजस्थान के उच्च न्ययालयों से भिन्न उच्च न्यायालयों के लिपिकों और शैरिफों तथा अटर्नियों से भिन्न अधिकारियों को तत्समय संदेय है,

या उन न्यायालयों में से हर एक में इस अधिनियम के उपाबद्ध प्रथम अनुसूची के संख्यांक 11 और द्वितीय अनुसूची के संख्यांक 7, 12, 14, 20 और 21 के अधीन प्रभार्य है,

प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालयों में शुल्क का उद्ग्रहण- और वे शुल्क जो प्रेसिडेंसी नगरों के लघुवाद न्यायालयों तथा उनके विभिन्न कार्यालयों में तत्समय प्रभार्य है, इसमें इसके पश्चात् बताई गई रीति में संगृहीत की जायेंगी।

4-उन दस्तावेजों पर शुल्क, जो उच्च न्यायालयों में उनकी साधारण या असाधारण अधिकारिता में फाइल, आदि की गयी हैं- इस अधिनियम से उपाबद्ध प्रथम या द्वितीय अनुसूची में शुल्कों से प्रभार्य के रूप में विनिर्दिष्ट शुल्कों में से किसी किस्म की कोई भी दस्तावेज उच्च न्यायालय इलाहाबाद में से किसी के समक्ष उसकी असाधारण या आरम्भिक सिविल अधिकारिकता के प्रयोग में,

या उसकी असाधारण या आरम्भिक दाण्डिक अधिकारिता के प्रयोग में;

उनकी अपीलीय अधिकारिता में-या उक्त न्यायालयों के एक या अधिक न्यायधीशों के या खण्ड न्यायालय के उन नियमों से जो न्यायालय की साधारण आरम्भिक अधिकारिता के प्रयोग में पारित निर्णयों से भिन्न है अपीलों के बारे में उसकी अधिकारिता के प्रयोग में;

या उसके अधीक्षण के अधीन न्यायालयों में अपीलों के बारे में, उसकी अधिकारिता के प्रयोग में;

निर्देश या पुनरीक्षण न्यायालय के रूप में- या निर्देश या पुनरीक्षण न्यायालय के रूप में उसकी अधिकारिता के प्रयोग में;

रिट, इत्यादि जारी करने की अधिकारिता के प्रयोग में- या भारत के संविधान के अधीन निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की उसकी अधिकारिता के प्रयोग में;

किसी अन्य अधिकारिता के प्रयोग में- या किसी अन्य मामले में अधिकारिता के प्रयोग में;

आने वाले किसी मामले में ऐसे न्यायालय में फाइल, प्रदर्शित या अभिलिखित या ऐसे न्यायालय द्वारा प्राप्त की या दी न जाएगी जब तक कि उस दस्तावेज के बारे में उक्त अनुसूचियों में से किसी में भी ऐसे दस्तावेज के लिए उचित शुल्क के रूप में उपदर्शित शुल्क अन्यून शुल्क संदत्त न कर दी गयी हो।

स्पष्टीकरण- जहां अनुसूची में विहित शुल्क की धनराशि पचीस नये पैसे से कम या पचीस नये पैसे से अधिक किन्तु पचास नये पैसे से कम या पचास नये पैसे से अधिक किन्तु पचहत्तर नये पैसे से कम या पचहत्तर नये पैसे से अधिक किन्तु एक रूपये से कम रूपये का कोई भाग अन्तर्विष्ट हो, वहां समुचित शुल्क एक रूपये के

चौथाई से ठीक उच्चतर पूर्णांकित की गयी धनराशि होगी, जैसा इसमें इसके तत्पश्चात् उक्त अनुसूचियों में दी गयी हो।

5-शुल्क की आवश्यकता या रकम की बाबत मतभेद होने की दशा में प्रक्रिया- जब उस अधिकारी के, जिसका कर्तव्य यह देखना है कि इस अध्याय के अधीन कोई शुल्क दी जाए, और किसी वादकर्ता या अटर्नी के बीच शुल्क के संदाय की आवश्यकता या उसकी रकम की बाबत कोई मतभेद पैदा होता है तब यदि मतभेद उक्त उच्च न्यायालयों में से किसी में पैदा होता है तो वह प्रश्न, विनिर्धारक अधिकारी को निर्देशित किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय तब के सिवाय अन्तिम होगा, जबकि वह प्रश्न उसकी राय में सार्वजनिक महत्व का है, जिस दशा में वह उसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के या उस उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश के, जिसे मुख्य न्यायमूर्ति साधारणतः या विशेषतः इस निमित्त नियुक्त करेगा, अन्तिम विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा।

यदि ऐसा कोई मतभेद उक्त लघुवाद न्यायालयों में से किसी में पैदा होता है तो वह प्रश्न न्यायालय प्राधीक्षक को निर्देशित किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय तब के सिवाय अन्तिम होगा, जबकि वह प्रश्न उसकी राय में सार्वजनिक महत्व का है, जिस दिशा में वह उसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के या उस उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायधीश के, जिसे मुख्य न्यायमूर्ति साधारणतः या विशेषतः इस निमित्त नियुक्त करेगा, अन्तिम विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा।

यदि ऐसा कोई मतभेद उक्त लघुवाद न्यायालय में से किसी में पैदा होता है तो वह प्रश्न न्यायालय प्राधीक्षक को निर्देशित किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय तब के सिवाय अन्तिम होगा, जबकि वह प्रश्न उसकी राय में सार्वजनिक महत्व का है जिस दशा में वह उसे ऐसे न्यायालय के प्रथम न्यायधीश के अन्तिम विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा।

मुख्य न्यायमूर्ति यह घोषित करेगा कि कौन इस धारा के पहले पैरा के अर्थान्तर्गत विनिर्धारक अधिकारी होगा।

अध्याय 3

अन्य न्यायालयों में और लोक कार्यालयों में शुल्क

6- मुफस्सिल न्यायालयों में या लोक कार्यालयों में फाइल, आदि की गयी दस्तावेजों पर शुल्क -(1) इस अधिनियम के उपाबद्ध प्रथम या द्वितीय अनुसूची में प्रभार्य के रूप में विनिर्दिष्ट किस्मों में से किसी किस्म की कोई भी दस्तावेज इसमें इसके पहले वर्णित न्यायालयों से भिन्न् किसी न्यायालय में फाईल, प्रदर्शित या अभिलिखित या किसी लोक-अधिकारी द्वारा प्राप्त की या दी न जायगी जब तक कि उस दस्तावेज के बारे में उक्त अनुसूचियों में से किसी से भी ऐसी दस्तावेज के लिए उचित शुल्क के रूप में उपदर्शित शुल्क से अन्यून शुल्क संदत्त कर दी गई हो:

परन्तु जहां ऐसा दस्तावेज भू-धृति या भू-राजस्व से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही से सम्बन्धित है, वहां संदेय शुल्क उक्त अनुसूचियों में से किसी में भी उपदर्शित शुल्क की तीन चौथाई होगी सिवाय इसके कि जहां वाद, अपील या कार्यवाही, जिससे यह सम्बन्धित हो, के विषय-वस्तु का मूल्य रू0 500 से अधिक हो,

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परन्तुक में यथावर्णित किसी ऐसे दस्तावेज के सम्बन्ध में संदेय शुल्क मई 1936 के प्रथम दिन के पहले उक्त अनुसूचियों में से किसी के भी द्वारा उपदर्शित एक और एक चौथाई से कम नहीं होगी।

स्पष्टीकरण- जहां अनुसूचियों में विहित शुल्क की धनराशि पचीस पैसे से कम या पचीस पैसे से अधिक किन्तु पचास पैसे से कम या पचास पैसे से अधिक किन्तु पचहत्तर पैसे से कम या पचहत्तर पैसे से अधिक किन्तु एक रूपये से कम रूपये का कोई भाग अन्तर्विष्ट हो, वहां समुचित शुल्क एक रूपये के चौथाई से ठीक उच्चतर पूर्णांकित की गयी धनराशि होगी, जैसा इसमें इसके तत्पश्चात् उक्त अनुसूचियों में दी गयी हो।

(2) उपधारा (1) के प्रावधानों के होते हुए भी, कोई न्यायालय वाद-पत्र या अपील का ज्ञापन, जिसकी बाबत अपर्याप्त शुल्क संदत की गयी है, स्वीकार कर सकेगा, किन्तु ऐसे वाद-पत्र या अपील के ज्ञापन पर कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक ऐसी अवधि जो समय-समय पर न्यायालय द्वारा नियत की जाए, के अन्तर्गत वादी या प्रतिवादी, जैसी भी स्थिति हो के द्वारा न्यायालय शुल्क की कमियां पूरी न कर दी जाएँ।

(3) यदि किसी वाद-पत्र या अपील के ज्ञापन के सम्बन्ध में धारा 24-क में वर्णित अधिकारी द्वारा न्यायालय शुल्क में कमी का प्रश्न उठाया जाता हैं तब न्यायालय अपील या वाद में आगे कार्यवाही करने के पहले निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि संदत्त न्यायालय शुल्क पर्याप्त है या नहीं। यदि न्यायालय निष्कर्ष निकालता है कि संदत्त न्यायालय शुल्क अपर्याप्त है तब यह वादी या प्रतिवादी, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी अवधि, जैसा यह निर्धारित करें, के अन्तर्गत कमी को पूरा करने की अपेक्षा करेगा और व्यतिक्रम होने की दशा में वाद-पत्र या अपील के ज्ञापन को निरस्त कर देगा:

परन्तु न्यायालय, ऐसे पर्याप्त कारणों से, जो भी अभिलिखित किये जायेंगे, वाद या अपील पर कार्यवाही कर सकेगा यदि वादी या प्रतिवादी, जैसी भी स्थिति हो, न्यायालय के समाधानप्रद रूप में, ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जैसा न्यायालय अनुज्ञात करे, न्यायालय शुल्क में कमी का भुगतान करने के लिए प्रतिभूति देता है। किसी भी मामले में, किसी तरह, निर्णय तब तक परिदत्त नहीं किया जायेगा, जब तक न्यायालय शुल्क में कमी पूरी नहीं कर दी जाती और यदि कमी उतने समय, जितना समय-समय पर न्यायालय अनुज्ञात करे, के भीतर पूरी नहीं कर दी जाती, तब न्यायालय वाद या अपील को खारिज कर सकेगा।

(4) जब कभी संदेय न्यायालय शुल्क की समुचित धनराशि का प्रश्न उपधारा (3) के अन्तर्गत से अन्यथा उठाया जाता है, तब न्यायालय किसी अन्य विवाद्यक में अग्रसर होने के पहले ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करेगा।

(5) न्यायालय द्वारा अनुज्ञात समयान्तर्गत न्यायालय शुल्क में कमी को पूरा कर लिये जाने के मामले के बाद या अपील को संस्थित करने की तिथि को वह तिथि माना जाएगा, जिस पर वाद दाखिल किया गया था या अपील उपस्थापित की गयी थी।

(6) सभी मामलों में जिसमें उपधारा (3) में निर्दिष्ट अधिकारी की रिपोर्ट को न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, वाद-पत्र की प्रतिलिपि के साथ न्यायालय के निष्कर्ष की एक प्रतिलिपि तत्काल स्टाम्प आयुक्त के पास भेजी जायेगी।

6-क. न्यायालय शुल्क संदाय करने के आदेश के विरूद्ध अपील- (1) न्यायालय शुल्क में कमी को पूरा करने के लिए अपेक्षित व्यक्ति ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील कर सकेगा मानों यह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 104 के अन्तर्गत अपीलीय आदेश करेगा।

अपील करने वाला पक्षकार के विरूद्ध किये जाने वाले अपील के आदेश के साथ वाद-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अपील के ज्ञापन को दाखिल करेगा।

(2) यदि उपधारा (1) के अन्र्तगत अपील दाखिल की जाती है, और वादी कमी को पूरा नही करता है, तब वाद में की सभी कार्यवाहियां स्थगित कर दी जायेंगी और प्रापक नियुक्त करने वाले तथा व्यादेश स्वीकृत करने वाले आदेश को शामिल कर लिये गये सभी अन्तरिम आदेश उन्मोचित कर दिये जायेंगे।

(3) वाद-पत्र की एक प्रतिलिपि और विरूद्ध किये जाने वाले आदेश की एक प्रतिलिपि के साथ अपील के ज्ञापन की एक प्रतिलिपि तत्काल अपीलीय न्यायालय द्वारा स्टाम्प आयुक्त के पास भेजी जायेंगी।

(4) यदि अपील में ऐसे आदेश में फेर-फार किया जाता है या उलट दिया जाता है, तब अपीलीय न्यायालय, यदि अपील विनिश्चत किये जाने के पहले कमी पूरी कर दी जाती है, अपीलार्थी को कलेक्टर से वह धनराशि, जो अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समुचित न्यायालय शुल्क से अधिक संदाय की गयी है, वापस लेने के लिए प्राधिकृत करते हुये प्रमाण-पत्र स्वीकृत करता है।

(5) न्यायालय ऐसे अपील के व्यय के संदाय के लिए वैसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे और ऐसा व्यय सरकार को संदेय है, यदि वह भू-राजस्व को संदेय है, यदि वह भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किये जाने योग्य हो।

6-ख. न्यायालय के आदेश के पुनरीक्षण के लिए स्टाम्प आयुक्त द्वारा आवेदन-(1) यदि धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पारित न्यायालय का आदेश अधिकारी, जिसके द्वारा न्यायालय शुल्क में कमी का प्रश्न उठाया जाता है, के विचार से विसंवादी है, तब स्टाम्प आयुक्त ऐसे आदेश की प्राप्ति की तिथि से तीन मास के भीतर, लिखित मे आवेदन द्वारा, न्यायालय जिसमें वाद या अपील, जिसमें ऐसा

आदेश पारित किया गया है, में आज्ञप्ति से अपील संस्थित है, में ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिए समावेदन कर सकेगा।

(2) यदि ऐसा न्यायालय इस विचार का है कि समुचित न्यायालय शुल्क वाद-पत्र या अपील के ज्ञापन, जिससे ऐसा आदेश सम्बन्धित है, पर नहीं संदाय किया गया है, तब वह उस प्रभाव की घोषणा अभिलिखित करेगा और न्यायालय शुल्क में कमी की धनराशि को निश्चित करेगा। ऐसे आदेश से कोई अपील संस्थित नही की जायेगी।

किन्तु ऐसी घोषणा तब तक नहीं की जायेगी जब तक न्यायालय शुल्क के संदाय करने के लिए दायी पक्षकार को सुने जाने का अवसर नहीं दिया गया है।

(3) न्यायालय, उपधारा (2) के अधीन घोषणा को अभिलिखित करते समय, व्यय के संदाय के लिए ऐसा आदेश दे सकेगा जैसा वह उचित समझे। जहां ऐसा व्यय सरकार को संदेय है, वहां वे न्यायालय शुल्क में कमी की वसूली के लिए उपधारा (4) में अधिकथित ढंग से वसूल किये जाने योग्य होंगे।

(4) जब उपधारा (2) के अन्तर्गत घोषणा अभिलिखित की गयी है, तब उसको अभिलिखित करने वाला न्यायालय, जब तक वाद या अपील जिस मामले में न्यायालय शुल्क में कमी धारा 12 की उपधारा (ii) में अधिकाधिक ढंग से वसूल किया जायेगा, ऐसे न्यायालय के समक्ष अपील में नहीं उठाया गया है, तत्काल ऐसी घोषणा की एक प्रति न्यायालय, जिसने धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत आदेश को पारित किया था, को भेजेगी, ऐसा न्यायालय यदि वाद या अपील उसके समक्ष अब भी लम्बित है, धारा 6 की उपधारा (3) में विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। यदि वाद या अपील का निपटारा पहले ही हो गया है, तब न्यायालय ऐसी घोषणा की प्रतिलिपि कलेक्टर, जो सम्बन्धित पक्षकार से कमी को वसूल करेगा, मानो यह भू-राजस्व का बकाया हो, को अग्रसारित करेगा।

6-ग. मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी **द्वारा उच्च न्यायालय को निर्देश**-(1) जब मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी इस विचार का हो कि किसी लम्बित वाद, अपील या अन्य कार्यवाही में किसी सिविल न्यायालय में दाखिल दस्तावेज पर संदत्त न्यायालय शुल्क अपर्याप्त है और कि प्रश्न सार्वजनिक महत्व का हे और धारा 6-ख के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, तब वह उस पर अपने विचार के साथ

मामले को उच्च न्यायालय, जिसके अधीनस्थ ऐसा सिविल न्यायालय है, को निर्देशित कर सकेगा।

(2) ऐसा प्रत्येक मामला उच्च न्यायालय, जिसको यह निर्देशित किया गया है, के दो से कम न्यायाधीशों द्वारा विनिश्चत नहीं किया जायेगा।

(3) उच्च न्यायालय ऐसे किसी मामले की सुनवाई पर, उसके सम्बन्ध में उठाये गये प्रश्न को निर्णीत करेगा और उस पर अपना निर्णय उस आधार, जिस पर निर्णय आधारित है, को अन्तर्विष्ट करत हुये देगा।

(4) यदि उच्च न्यायालय पाता है कि संदत्त न्यायालय शुल्क अपर्याप्त है, तब कमी की वसूली के लिए धारा 6-ख की उपधारा (4) द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा मानो उच्च न्यायालय का निर्णय उस धारा के अन्तर्गत घोषणा है।

7. कतिपय वादों में संदेय शुल्कों की संगणना- इसमें इसके ठीक पश्चात वर्णित वादों में इस अधिनियम के अधीन संदेय शुल्क की संगणना नीचे लिखे क्रम के अनुसार की जायेगीः

(i) धन के वादों में- धन के वादों में (जिनके अन्तर्गत नुकसानी या प्रतिकर के अथवा भरण-पोषण, वार्षिकियों या कालावधिक रूप से संदेय अन्य धनराशियों के बकाया के वाद आते है) दावाकृत रकम के अनुसार;

(ii) (क) भरण-पोषण और वार्षिकियों के वादों में- भरण-पोषण या वार्षिकियों या कालावधिक रूप से संदेय अन्य धनराशियों के वादों में वाद की विषय-वस्तु के मूल्य के अनुसार और यह समझा जाएगा कि ऐसा मूल्य एक वर्ष के लिए संदेय दावाकृत रकम का दस गुना हैः

परन्तु अवयस्कों और महिलाओं द्वारा व्यक्तिगत भरण-पोषण के वादों में ऐसा मूल्य एक वर्ष के लिए संदेय दावाकृत रकम होना समझा जाएगा।

(ख) भरण-पोषण और वार्षिकियों के वृद्धि या कमी के लिए- भरण-पोषण और वार्षिकियों की वृद्धि या कमी के लिए वाद की विषयवस्तु के मूल्य के अनुसार कालावधिक रूप में संदेय अन्य धनराशि और यह समझा जाएगा कि ऐसा मूल्य एक वर्ष के लिए घटाये या बढाये गये ईप्सित रकम का दस गुना होगा;

(iii) बाजार मूल्य वाली अन्य जंगम सम्पत्ति के वादों में- धन से भिन्न जंगम सम्पत्ति के वादों में, जहां विषय-वस्तु बाजार मूल्य है- वादपत्र के पेश होने की तारीख पर ऐसे मूल्य के अनुसार;

(iv) (क) परिणामिक अनुतोष के साथ घोषणात्मक डिक्री के लिए- वाद में- घोषणातमक डिग्री या आदेश अभिप्राप्त करने के वादों में, जहां अनुतोष उपधारा(iv-क) में विनिर्दिष्ट अनुतोष के अतिरिक्त अन्य प्रार्थित है, और

(ख) लेखाओं के वादों में- वाद-पत्र या अपील में ज्ञापन के लिए ईप्सित अनुतोष (दावा) के मूल्यांकन की रकम के अनुसारः

परन्तु खण्ड (क) के अन्तर्गत आने वाले वादों में, जहां ईप्सित अनुतोष किसी अचल सम्पत्ति के निर्देश में है, वहां ऐसी धनराशि पारिणामिक अनुतोष के मूल्य की होगी और यदि ऐसा अनुतोष मूल्यांकन योग्य न हो तब अचल सम्पत्ति का मूल्य इस धारा की उपधारा (v), (v-क) या (v-ख) के अनुसार जैसी भी स्थिति हो, संगणित किया जायेगाः

परन्तु यह और कि खण्ड (क) के अन्तर्गत आने वाले सभी वादों में ऐसी धनराशि किसी भी दशा में 300 रूपये से कम नहीं होगी।

परन्तु यह और भी कि खण्ड (ख) में आने वाले वादों में, ऐसी धनराशि वादी के बकाया राशि के लगभग होगी तथा उक्त धनराशि वाद में पारित प्राथमिक डिक्री से अपील के मूल्यांकन की संगणना (या निर्धारण) के लिए आधार उत्पन्न करेगी।

(iv-क) शून्य लिखतों और आज्ञिप्तियों का न्याय-निर्णयन करने या रद्द करने के लिए- वाद में के लिए या धन के लिए किसी आज्ञप्ति को शून्य या शून्यकरणीय न्याय-निर्णीत कराने या रद्दकरण को अन्तर्वलित करने वाले या बाजार मूल्य रखने वाला सम्पत्ति या धन प्रतिभूति करने वाला लिखत या ऐसा मूल्य रखने वाली अन्य सम्पत्तिः

(1) जहां वादी या उसके हक का पूर्वाधिकारी, विषय-वस्तु के मूल्य के अनुसार लिखत या आज्ञप्ति का पक्षकार था, और

(2) जहां वह या उसके हक का पूर्वाधिकारी, विषय-वस्तु के मूल्य के एक-पांचवे के अनुसार लिखत या आज्ञप्ति का पक्षकार नहीं था और ऐसा मूल्य होना माना जायेगा-

यदि सम्पूर्ण लिखत या आज्ञप्ति वाद में अन्तर्वलित है, धनराशि जिसके लिए सम्पत्ति का मूल्य जिसके सम्बन्ध में आज्ञप्ति पारित की गयी थी और या लिखत निष्पादित किया गया था और सिर्फ आज्ञप्ति या लिखत का कोई भाग वाद में अन्तर्वलित है, तब धनराशि या सम्पत्ति का मूल्य, जिससे ऐसा भाग सम्बन्धित है।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा के उद्देश्य के लिए 'सम्पत्ति का मूल्य' बाजार मूल्य होगा, जो अचल सम्पत्ति की दशा में उपधारा (v),(v-क) या (v-ख) के अनुसार संगणित के रूप में मूल्य होना माना जायेगा, जैसी भी स्थिति हों।

(iv-ख) सुखाधिकार के लिए-वाद में-(क)भूमि से उत्पन्न कुछ लाभ (इसमें अन्यथा उपबन्धित के लिए नहीं) के अधिकार के लिए;

(ख) व्यादेश के लिए-व्यादेश प्राप्त करने के लिए;

(ग) दत्तक ग्रहण स्थापित करने के लिए- दत्तक ग्रहण सथापित करने या घोषणा प्राप्त करने के लिए कि अभिकथित दत्तक ग्रहण वैध है;

(घ) दत्तक ग्रहण अपास्त करने के- दत्तक ग्रहण अपास्त करने या घोषणा प्राप्त करने के लिए कि अभिकथित दत्तक ग्रहण अवैध है या वास्तव में कभी नहीं हुआ;

(ड़) धारा 8 में वर्णित अधिनिर्णय के अतिरिक्त अन्य अधिनिर्णय को अपास्त करने के-धारा 8 में वर्णित अधिनिर्णय न होने के कारण अधिनिर्णय को अपास्त करने, धनराशि के अनुसार जिस पर ईप्सित अनुतोष का मूल्यांकन वाद-पत्र में किया गया है;

परन्तु ऐसी धनराशि ईप्सित अनुतोष द्वारा प्रभावित या अन्तर्वलित सम्पत्ति के बाजार मूल्य के एक पांचवें या 200 रूपये; जो अधिक हो, से कम नही होगा:

परन्तु यह और कि खण्ड (क) और (ख) के अन्तर्गत आने वाले वादों के मामले में उद्ग्रहीत न्यायालय शुल्क की धनराशि किसी दशा में 500 रू0 से अधिक नही होगी;

स्पष्टीकरण-(1)- जब ईप्लिस अनुतोष किसी अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में हो तब ऐसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य इस धारा की उपधारा (v),(v-क) या (v-ख) के अनुसार संगणित मूल्य होना माना जायेगा, जैसी भी स्थिति हों।

स्पष्टीकरण-(1)- खण्ड (क) और (ख) के अन्तर्गत आने वाले वादों के मामलों में सम्पत्ति, जो ईप्सित अनुतोष द्वारा प्रभावित है और जहां वादी और प्रतिवादी दोनों की सम्पत्तियाँ प्रभावित हैं, इस प्रकार प्रभावित वादी की सम्पत्ति;

(ii) खण्ड (ग) और (घ) के अन्र्तगत आने वाले वादों के मामले में, सम्पत्ति को जो उत्तराधिकार द्वारा हक या अन्यथा अभिकथित दत्तक ग्रहण द्वारा प्रभावित या उपयोजित की जा सकेगी; और

(iii) खण्ड (ड़) के अन्तर्गत आने वाले वादों में सम्पत्ति जो अधिनिर्णय की विषय-वस्तु बनाती है;

इस उपधारा के परन्तुक के अर्थान्तर्गत ईप्सित अनुतोष द्वारा प्रभावित या मे अन्तर्वलित सम्पत्ति होना मानी जायेगी।

(iv-ग) दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए-वाद में-

(क) दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिये;

(ख) वैवाहिक अधिकारों के लिए - किसी विवाह को विघटित करने के या बातिल करने के या स्थापित करने के लिए;

(ग) संरक्षकता के लिए - किसी व्यक्ति, जैसे अवयस्क, विवाह के लिए संरक्षकता को शामिल करके, के संरक्षिकता या अभिरक्षा के अधिकार को स्थापित करने के लिए,

धनराशि के अनुसार, जिस पर ईप्सित अनुतोष वाद-पत्र में मूल्यांकित किया गया है, किन्तु किसी भी मामले में यह धनराशि 200 रूपये से कम नहीं होगी।

(v) भूमि, गृहों और उद्यानों के कब्जे के लिए- भूमि, गृहों और उद्यानों के कब्जे के वादों में-

विषय वस्तु के मूल्य के अनुसार, और यह समझा जायेगा, कि ऐसा मूल्य-

(1) जहां विषय-वस्तु भूमि है, और-

(क) जहां भूमि सरकार को वार्षिक राजस्व देने वाली सकल सम्पदा या सम्पदा का निश्चित अंश है, या ऐसी सम्पदा का भाग है और कलेक्टर के रजिस्टर में यही अभिलिखित है कि उस पर ऐसा राजस्व पृथक्त: निर्धारित हैं, और ऐसा राजस्व स्थायी रूप से परिनिर्धारित है-

वहाँ ऐसे संदेय, राजस्व का तीस गुना है।

(ख) जहां भूमि सरकार को वार्षिक राजस्व देने वाली सकल सम्पदा या सम्पदा का निश्चित अंश है या ऐसी सम्पदा का भाग-रूप है, और यथापूर्वोक्त अभिलिखित है और ऐसा राजस्व परिनिर्धारित है, किन्तु स्थायी रूप से नही- वहां ऐसे संदेय, राजस्व का दस गुना है;

(ग) जहां भूमि ऐसा कोई भी राजस्व नहीं देती है या ऐसे संदाय से भागतः छूट प्राप्त है या ऐसे राजस्व के बदले किसी नियत संदाय से भारित है और वाद-पत्र के पेश होने की तारीख के ठीक पूर्व के वर्ष में उस भूमि से शुद्ध लाभ उद्भूत हुए है-

वहां ऐसे शुद्ध लाभों का बीस गुना है किन्तु जहां ऐसे कोई भी शुद्ध लाभ उससे उद्भूत नहीं हुए हैं वहां, वह रकम हैं, जो न्यायालय पड़ोस की वैसी ही भूमि के मूल्य के प्रति निदेश से उस भूमि के लिए प्राक्कलित करे-

(घ) जहां भूमि सरकार को राजस्व देने वाली किसी सम्पदा का भाग है,किन्तु ऐसी सम्पदा का निश्चित अंश नही है और ऊपर के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अन्तर्गत नही आता है-

भूमि का बाजार मूल्य जो भूमि के भाटक मूल्य, साम्पत्तिक खेती पर कल्पित भाटक, यदि कोई हो, शामिल करके, में पन्द्रह के गुणा द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(ii) जहां विषयवस्तु किसी भवन या बाग की हो-

भवन या भाग के बाजार मूल्य के अनुसार, जैसी भी स्थिति हो।

स्पष्टीकरण-इस उपधारा में यथा प्रयुक्त "सम्पदा" शब्द से अभिप्रेत है वह भूमि जो राजस्व का संदाय करने के लिए दायी है और जिसके लिए भू-स्वामी या कृषक या रैयत ने सरकार से अलग वचनबन्ध निष्पादित किया है या जिस पर ऐसे वचनबन्ध के अभाव में राजस्व पृथकतः निर्धारति होता।

(v-क) उच्चतर स्वत्वाधिकारी और अवर स्वत्वाधिकारी भूमि के कब्जे के लिए-कब्जे के लिए वाद में-

(1) उच्चतर स्वत्वाधिकारी अधिकार के कब्जे के लिए जहां अवर स्वत्वाधिकारी या उप-स्वत्वाधिकारी अधिकार भूमि में विद्यमान है-

वहां विषयवस्तु के बाजार मूल्य के अनुसार और ऐसा मूल्य उच्चतर स्वत्वाधिकारी के वार्षिक शुद्ध लाभ में पन्द्रह के गुणा द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवर स्वत्वाधिकारी या उप-स्वत्वाधिकारी भूमि के कब्जे के लिए जैसे ; विषय-वस्तु के मूल्य के अनुसार और ऐसा मूल्य वाद-पत्र के पेशकरण के ठीक पहले वर्ष के भूमि के लिए संदेय उप स्वत्वाधिकारी या अवर स्वत्वाधिकारी के वार्षिक भाटक, जो कलेक्टर के रजिस्टर में अभिलिखित हो, में दस के गुणा द्वारा विनिश्चित किया जायेगा

यदि कलेक्टर के रजिस्टर में ऐसा भाटक अभिलिखित नही किया गया है, तब गुणक दस होगा के सिवाय, इस धारा के उपधारा (v) के खण्ड (ग) में अधिकथिति ढंग से विनिश्चित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण- किसी स्थायी पट्टेदारों द्वारा धारित भूमि इस उपधारा के प्रयोजन के लिए अवर स्वत्वाधिकारी या उप-स्वत्वाधिकारी के रूप में माना जायेगा।

(v-ख) अभिधारियों के मध्य कब्जा विषयक वाद- परस्पर विरोधी अभिधारियों के मध्य अभिधारियों द्वारा अतिचारियों के विरूद्ध भूमि के कब्जा के लिए वाद में विषय

वस्तु के मूल्य के अनुसार और ऐसा मूल्य विनिश्चित किया जायेगा यदि ऐसी भूमि -

(क) स्थायी भू-धारी या नियत दर भू-धारी को ही- वाद-पत्र के पेशकरण के ठीक पहले वर्ष की भूमि के लिए संदेय वार्षिक भाटक, जैसा कलेक्टर के रजिस्टर में अभिलिखित हो, में बीस गुणा द्वारा;

(ख) स्वत्वाधिकारी से बाहर या अधिभोग अभिधारी का हो-परस्पर विरोधी अभिधारियों के मध्य भूमि के कब्जा के लिए वादों के मामलों में ऐसे भाटक में दो द्वारा गुणा करने के द्वारा और अभिधारियों द्वारा अतिचारियों के विरूद्ध वाद में वार्षिक भाटक द्वारा;

(ग) किसी अन्य अभिधारी-वार्षिक भाटक द्वारा।

यदि ऐसा भाटक कलेक्टर के रजिस्टर में अभिलिखित नहीं किया गया है तब मूल्य का विनिश्चियन इस धारा की उपधारा (v) के खण्ड (ग) के खण्ड (क), (ख) और (ग) में प्रविष्ट जिसके अनुसार प्रभावित अभिधृत संवर्ग इस उपधारा के खण्ड (क), (ख) या (ग) द्वारा शासित है।

(vi) शुफाधिकार प्रवर्तित कराने के वादों में- शुफाधिकार प्रवर्तित कराने के वादों में उस भूमि, गृह या उद्यान के जिसके बारे में अधिकार का दावा किया जाये इस धारा के पैरा (5) के अनुसार संगणित मूल्य के अनुसार;

(vi-क) विभाजन के लिए-विभाजन के लिए वाद में-

सम्पत्ति के वादी के अंश के मूल्य के एक चौथाई के अनुसार;

और ऐसे अंश के सम्पूर्ण मूल्य के अनुसार यदि वाद-पत्र पेश होने की तिथि पर वाद सम्पत्ति, जिसका वह सहदायिक या सह-स्वामी होने का दावा करता है, के कब्जे के बाहर है और तिथि पर सहदायिक और सह-स्वामी होने के उसके दावे को प्रत्याख्यात कर दिया जाता है।

स्पष्टीकरण-इस उपधारा के प्रयोजन के लिए सम्पत्ति का मूल्य बाजार मूल्य होगा जो स्थावर सम्पत्ति की दशा में उपधारा (v), (v-क) और (v-ख) के अनुसार संगणित मूल्य होना माना जायेगा, जैसी भी स्थिति हो।

(vii) भू-राजस्व के समनुदेशिती के हित के वादों में- भू-राजस्व के समनुदेशिती के हित के लिए वादों में- वाद-पत्र के पेश किये जाने की तारीख के ठीक पहले के वर्ष के इस प्रकार के शुद्ध लाभों का पन्द्रह गुना;

(viii) कुर्की अपास्त करना या प्रत्यावर्तित करना- कुर्की को प्रत्यावर्तित करने या अपास्त करने के वाद में, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXI,नियम 60, 61 या 62 के अधीन पारित आदेश को अपास्त करने के वाद को शामिल करके, धनराशि जिसके के लिए कुर्की की गयी है, के आधे के अनुसार या कुर्क की गई सम्पत्ति या हित के मूल्य के आधे के अनुसार जो भी कम हो।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजन के लिए सम्पत्ति या हित का मूल्य बाजार मूल्य होगा जो स्थावर सम्पत्ति या हित के मामले में ऐसी सम्पत्ति के उपधारा (v), (v-क) और (v-ख) के अनुसार संगणित रूप में मूल्य होना माना जायेगा,जैसी भी स्थिति हो।

(ix) मोचन के वादों में- बन्धकार के विरूद्ध बन्धक सम्पत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए वादों में और बन्धकदार द्वारा बन्धक के पुरोबन्ध के वादों में;

(ix-क) पुरोबन्ध के वादों में-जहां बन्धक सशर्त विक्रय द्वारा किया गया है, वहां विक्रय को आत्यान्तिक घोषित कराने के वादों में-बन्धक पत्र द्वारा अभिव्यक्त प्रतिभूत मूलधन के अनुसार।

(x) विनिर्दिष्ट पालन के वादों में- निम्नलिखित के विनिर्दिष्ट पालन के वादों में-

(क) विक्रय की संविदा के वादों में-प्रतिफल की रकम के अनुसार;

(ख) बन्धक की संविदा के वादों में-करार में प्रतिभूत रकम के अनुसार;

(ग) पट्टे की संविदा के वादों में- जुर्माना या प्रीमियम (यदि कोई हो) और अवधि के पहले वर्ष के दौरान संदाय के लिए करार किये गये भाटक के योग की रकम के अनुसार;

(घ) पंचाट के वादों में- विवादग्रस्त रकम या सम्पत्ति के मूल्य के अनुसार और ऐसा मूल्य बाजार का मूल्य होगा, जो स्थावर सम्पत्ति के मामले में उपधारा(v), (v-क) और (v-ख) के अनुसार संगणित रूप में मूल्य होना माना जायेगा, जैसी भी स्थिति हो।

(xi) भू-स्वामी और अभिधारी के बीच के वादों में-भू-स्वामी और अभिधारी के बीच के निम्न्लिखित वादों में-

(क) अभिधारी से पट्टे का प्रतिलेख परिदत्त कराने के लिए,
(ख) अधिभोगाधिकार रखने वाले अभिधारी के भाटक की वृद्धि के लिए,
(ग) भू-स्वामी से पट्टा परिदत्त कराने के लिए,

(गग) अभिधारी से, जिसके अन्तर्गत अभिधृत के पर्यवसान के पश्चात अतिधारण करने वाला अभिधारी आता है, स्थावर सम्पत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए,

(घ) बेदखली की सूचना के प्रतिवाद के लिए,
(ङ) उस स्थावर सम्पत्ति के अधिभोग के प्रत्युद्धरण के लिए जिससे भू-स्वामी ने किसी अभिधारी को अवैध रूप से बेदखल कर दिया है,
(च) भाटक के उपशमन के लिए,
(छ) भाटक के अवधारण के लिए, और
(ज) भाटक के अवधारण के लिए।

वाद के पेश किये जाने की तारिख के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के लिए संदाय उस स्थावर सम्पत्ति के जिसके प्रतिवाद में निर्देश है भाटक की रकम के अनुसार सिवाय खण्ड (ज) के अन्तर्गत आने वाले वाद में, जिसमें वादी द्वारा दावाकृत वार्षिक भाटक की राशि दो गुनी होने के अनुसार।

8. प्रतिकर सम्बन्धी आदेश के विरूद्ध अपील के ज्ञापन पर शुल्क- भूमि का लोक प्रयोजनार्थ अर्जन करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन प्रतिकर सम्बन्धी आदेश के विरूद्ध अपील के ज्ञापन पर इस अधिनियम के अधीन संदेय शुल्क की संगणना अधिनिर्णीत रकम और अपीलार्थी द्वारा दावाकृत रकम के बीच अन्तर के अनुसार की जायेगी।

9.शुद्ध लाभ या बाजार मूल्य अभिनिश्चित करने की शक्ति - प्रत्येक वाद में वादी वाद-पत्र के साथ वाद की विषय-वस्तु के मूल्यांकन और विशिष्टयों के प्रयोजन के लिए उस रूप में दाखिल करता है जिस रूप में विहित किया जाए, जबकि ऐसी विशिष्टयाँ और मूल्यांकन स्वयं वाद-पत्र में अन्तर्विष्ट न हों। यदि न्यायालय यह सोचने के लिए कारण पाता है कि किसी ऐसी भूमि, गृह या बाग का वार्षिक शुद्ध लाभ या बाजार मूल्य का, जैसा कि धारा 7, पैरा 5 एंव 6 में वर्णित है, गलत ढंग से प्राक्कलन किए गए है या किया गया है, तो न्यायालय किसी वाद में उसमें वर्णित संदेय फीस की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी उचित व्यक्ति को उसे ऐसा स्थानीय या अन्वेषण करने के लिए, जैसा कि आवश्यक हो और न्यायालय को उस पर कमीशन जारी कर सकेगा।

10.प्रक्रिया जहाँ शुद्ध लाभ या बाजार मूल्य गलत तौर पर प्राक्कलित हुआ है- (i) यदि ऐसे किसी अन्वेषण के परिणामस्वरूप न्यायालय यह पाता है कि शुद्ध लाभों का या बाजार मूल्य का प्राक्कलन गलत तौर पर किया गया है तो जितना प्राक्कलन होना चाहिए था, यदि उससे अधिक हुआ है तो न्यायालय ऐसे शुल्क के रूप में अधिक दी गई रकम को स्वविवेकानुसार वापस कर सकेगा, किन्तु यदि प्राक्कलन अपर्याप्त हुआ है तो न्यायालय वादी से अपेक्षा करेगा कि वह उतना अतिरिक्त शुल्क दे जितना उक्त बाजार मूल्य या शुद्ध लाभों का प्राक्कलन सही तौर पर किये जाने पर संदेय होता।

(ii) ऐसी दशा में वाद अतिरिक्त शुल्क संदत्त किये जाने तक रोक दिया जायेगा। यदि अतिरिक्त शुल्क उस समय के अन्दर, जो न्यायालय नियत करेगा संदत्त नहीं की जाती है तो वाद खारिज कर दिया जायेगा।

11. **अन्तःकालीन लाभों या लेखा के लिए वादों में प्रक्रिया जब डिक्रीत रकम दावाकृत रकम से अधिक है-** अन्तःकालीन लाभ के या स्थावर सम्पत्ति और अन्तःकालीन लाभ के या लेखा के लिए वादों में, यदि डिक्रीत लाभ या रकम दावाकृत लाभ से या उस रकम से, जिस पर वादी ने ईप्सित अनुतोष का मूल्यांकन किया है, अधिक है, तो डिक्री का निष्पादन तब तक नहीं किया जायेगा जब तक उचित अधिकारी को वह अन्तर संदत्त न कर दिया जाये जो वस्तुतः संदत्त और उस शुल्क में है जो इस प्रकार डिक्रीत सम्पूर्ण लाभों या रकम का समावेश वाद में होने पर संदेय होती।

जहां आज्ञप्ति अन्तःकालीन लाभ, जो वाद संस्थित करने के पूर्व अवधि में सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रोद्भूत हुआ है, के बारे में जांच का निर्देश देता है, यदि ऐसी जांच पर अभिनिश्चित लाभ दावाकृत लाभ से अधिक होता है, तो अन्तिम डिक्री तब तक पारित नहीं की जायेगी जब तक वास्तविक संदत्त शुल्क और शुल्क, जो संदेय होगा, इस प्रकार अभिनिश्चित सम्पूर्ण लाभ अदा किया गया है, के अन्तर को समाविष्ट करके वाद न किया गया हो। यदि ऐसे अन्तर का संदाय ऐसे समय के अर्न्तगत नही किया जाता, जैसा कि न्यायालय निर्धारित करे, तो अधिक्य के लिए दावा निरस्त किया जाएगा, जब तक न्यायालय पर्याप्त कारण से भुगतान के लिए समय का विस्तार नही करता।

जहाँ आज्ञप्ति वाद संस्थित करने से अन्तःकालीन लाभ के बारे में जांच का निर्देश देती है और ऐसे जांच के परिणाम के अनुसार अन्तिम आज्ञप्ति पारित की जाती है, वहां आज्ञप्ति का निष्पादन तब तक नहीं होगा जब तक ऐसे शुल्क जो निष्पादन के दावाकृत धनराशि पर संदेय हो, संदाय नहीं किया जाता यदि उसके लिए पृथक वाद संस्थित नहीं किया गया है।

12. मूल्यांकन सम्बन्धी प्रश्नों का विनिश्चय-(i) किसी वाद-पत्र या अपील के ज्ञापन पर इस अध्याय के अधीन प्रभार्य शुल्क की रकम के अवधारण के प्रयोजनार्थ मूल्यांकन सम्बन्धी हर प्रश्न का विनिश्चय उस न्यायालय द्वारा किया जायेगा जिसमें, यथास्थिति, ऐसा वाद-पत्र या ज्ञापन फाइल किया जाता है और जहाँ तक वाद के पक्षकारों का सम्बन्ध है, ऐसा विनिश्चय अन्तिम होगा।

(ii) किन्तु जब कभी ऐसा कोई वाद किसी अपील, निर्देश या पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष आता है तब, यदि उस न्यायालय का यह विचार है कि उक्त प्रश्न का विनिश्चय गलत तौर पर किया गया है जिससे राजस्व का अपाय हुआ है, तो वह उस पक्षकार से, जिसने ऐसा शुल्क संदत्त किया है, अपेक्षा करेगा कि वह उतना अतिरिक्त शुल्क संदत्त करे जो उस प्रश्न का विनिश्चय सही तौर पर किये जाने पर संदेय होता, यदि निर्धारित समय के अन्तर्गत ऐसा अतिरिक्त शुल्क अदा नहीं किया जाता और व्यतिक्रमी प्रत्यक्षी है, तब अपील निरस्त कर दी जायेगी, किन्तु यदि व्यतिक्रमी प्रत्युत्तरदाता है तब न्यायालय कलेक्टर को सूचित करेगा जो कमी की वसूली इस प्रकार करेगा मानो यह भू-राजस्व का बकाया हो।

13. अपील के ज्ञापन पर संदत्त शुल्क की वापसी- यदि ऐसी किसी अपील या वाद-पत्र को जो सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित आधारों में से किसी आधार पर निचले न्यायालय द्वारा नामंजूर कर दिया गया है, ग्रहण कर लिए जाने का आदेश दिया जाता है या यदि अपील में कोई वाद निचले न्यायालय द्वारा दोबारा विनिश्चय के लिए उसी संहिता की धारा 351 में वर्णित आधारों में से किसी आधार पर प्रतिप्रेषित किया जाता है तो, अपील न्यायालय अपीलार्थी को एक प्रमाण-पत्र अनुदत्त करेगा जो अपील के ज्ञापन पर संदत्त शुल्क की पूरी रकम कलेक्टर से वापस पाने के लिए प्राधिकृत करेगाः

परन्तु यदि अपील में प्रतिप्रेषण की दशा में प्रतिप्रेषण का आदेश वाद की सम्पूर्ण विषय-वस्तु के लिए नहीं है तो इस प्रकार अनुदत्त प्रमाण-पत्र अपीलार्थी को

विषय-वस्तु के उस भाग या उन भागों पर, जिनके बारे में वाद प्रतिप्रेषित किया गया है, मूलतः संदेय शुल्क से अधिक शुल्क वापस पाने के लिए प्राधिकृत न करेगा।

14. निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन के शुल्क की वापसी- जहाँ निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन डिक्री की तारीख से नब्बे दिन या तत्पश्चात् पेश किया जाता है, वहाँ न्यायालय तब के सिवाय जबकि विलम्ब आवेदक की ढिलाई से कारित हुआ है, उसे स्वविवेकानुसार एक प्रमाण-पत्र अनुदत्त कर सकेगा, जो उसे आवेदन पर संदत्त शुल्क में से उतना शुल्क कलेक्टर से वापस पाने के लिए प्राधिकृत करेगा जितना उस शुल्क से अधिक है जो आवेदन के ऐसे दिन के पूर्व पेश किए जाने की दशा में संदेय होता।

15. जहां न्यायालय अपना पूर्व विनश्चिय भूल के आधार पर उलट देता है या उपान्तरित कर देता है, वहां शुल्क की वापसी- जहां निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन ग्रहण कर लिया जाता हे और पुनः सुनवाई पर न्यायालय अपना पूर्व विनिश्चय विधि या तथ्य की भूल के आधार पर उलट देता है या उपान्तरित कर देता है, वहां आवेदक न्यायालय से एक प्रमाण-पत्र पाने का हकदार होगा, जो उसे आवेदन पर संदत्त शुल्क में से उतना शुल्क कलेक्टर से वापस पाने के लिए प्राधिकृत करेगा, जितना उस शुल्क से अधिक है, जो ऐसे न्यायालय में दिए गए किसी अन्य आवेदन पर इस अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के संख्यांक 1 के खण्ड (ख) या खण्ड (घ) के अधीन संदेय होता।

लेकिन इस धारा के पूर्ववर्ती भाग की कोई भी बात आवेदक को ऐसे प्रमाण-पत्र का हकदार नहीं बनायेगी यदि वह उलटना या उपान्तरण पूर्णतः या भागतः ऐसे साक्ष्य के कारण होता है जो आरम्भिक सुनवाई में पेश किया जा सकता था।

16. फीस की वापसी- जहां न्यायालय वाद के पक्षकारों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 89 में निर्दिष्ट विवाद के निपटारे के ढंगों में से किसी को निर्दिष्ट करता है, तो वादी ऐसी वाद पत्र के सम्बन्ध में संदत्त फीस की पूर्ण

धनराशि को वापस प्राप्त करने के लिए उसे प्राधिकृत करते हुए न्यायालय से प्रमाण पत्र का हकदार होगा।

17. **बाहुल्यपूर्ण वाद-** (1) किसी वाद में, जिसमे दो या अधिक पृथक और भिन्न वाद हेतुक संयोजित किये गये हैं, वाद-पत्र या अपील के ज्ञापन संकलित धनराशि से प्रभार्य होंगे यदि पृथक वाद प्रत्येक ऐसे वाद हेतुक के सम्बन्ध में संस्थित किये जाते हैः

परन्तु इस उपधारा में अन्य पृथक परीक्षण में सिविल प्रक्रिया संहिता, के अन्तर्गत या द्वारा प्रदत्त कोई शक्ति प्रभावित करने वाली नही मानी जायेगी।

(2) **वैकल्पिक अनुतोष**-जब विकल्प में एक ही वाद हेतुक पर आधारित एक से अधिक अनुतोष ईप्सित है, तब शुल्क अनुतोष, जिसके सम्बन्ध में सबसे अधिक शुल्क संदेय है, के मूल्य के अनुसार अदा किया जायेगा।

18. परिवादियों की लिखित परीक्षा- जब ऐसे व्यक्ति की, जो सदोष परिरोध या सदोष अवरोध के अपराध का, या ऐसे अपराध का, या ऐसे अपराध से, जिसके लिए पुलिस अधिकारी वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकते है, भिन्न किसी अपराध का परिवाद करता है और जिसने पहले ही कोई ऐसी अर्जी पेश नहीं की है जिस पर इस अधिनियम के अधीन शुल्क उद्गृहीत किया गया है, प्रथम या एकमात्र परीक्षा दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों के अधीन लेखबद्ध की जाये तब परिवादी एक रूपया का शुल्क का संदाय करेगा, उस दशा के सिवाय जब न्यायालय ऐसे संदाय का परिहार्य करना ठीक समझे।

19. कतिपय दस्तावेजों को छूट-इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात निम्निलिखित दस्तावेजो को किसी शुल्क से प्रभार्य नहीं बनाएगी-

(i) संघ के सशस्त्र बलों में से किसी के ऐसे सदस्य द्वारा जो सिविल नियोजन में नहीं है, वाद संस्थित करने के लिए या उसमें प्रतिरक्षा करने के लिए निष्पादित मुख्तारनामा।

(ii) अधिनियम संख्या 12 वर्ष 1891 द्वारा निरस्त।

(iii) अनूसूची-1 के अनुच्छेद 2(क) में वर्णित लिखित कथन न होने के कारण न तो प्रतिदावा, मुजराई या किश्त के लिए या वाद के व्यय से सम्बन्धित प्रार्थना के अतिरिक्त।

(iv) अधिनियम संख्या 13 वर्ष 1889 द्वारा निरस्त।

(v) फोर्ट सेन्ट जार्ज की प्रेसिडेंसी में ग्राम मुन्सिफों द्वारा विचारित वादों के वाद-पत्र।

(vi) उसी प्रेसीडेन्सी की जिला पंचायतो के समक्ष वादों के वाद-पत्र और आदेशिकाएं।

(vii) 1816 के मद्रास रेगुलेशन 12 के अधीन कलेक्टर के समक्ष वादों का वाद-पत्र।

(viii) जहाँ वह रकम या उस सम्पत्ति का मूल्य, जिसके बारे में प्रोबेट या प्रशासन-पत्र या प्रमाण-पत्र अनुदत्त किया जायेगा, एक हजार रूपये अनधिक है वहां बिल का प्रोबेट, प्रशासन-पत्र और ऋणों तथा प्रतिभूतियों के सिवाय 1827 के बाम्बे रेगुलेखन 8 के अधीन प्रमाण-पत्र।

(ix) कलेक्टर या भू-राजस्व का व्यवस्थापन करने वाले अन्य अधिकारी, या राजस्व परिषद या राजस्व आयुक्त को भूमि के निर्धारण, या उस पर अधिकार या उसमें के हित के अभिनिश्चत किये जाने के संसक्त बातो के सम्बन्ध में दिया गया आवेदन या अर्जी, यदि वह आवेदन या अर्जी ऐसे व्यवस्थापन के अन्तिम दुष्परिणाम के पहले पेश की गयी है।

(x) सिंचाई के लिए सरकारी जल के प्रदाय के सम्बन्ध में आवेदन।

(xi) खेती का विस्तार करने या भूमि का त्याग करने की इजाजत के लिए भू-राजस्व के किसी अधिकारी के समक्ष ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो सीधे सरकार से किये

गये वचनबन्ध के अधीन ऐसी भूमि का धारक है जिसका राजस्व परिनिर्धारित तो है किन्तु स्थायी रूप से नही, पेश किया गया आवेदन।

(xii) भूमि के त्याग के लिए या भाटक वृद्धि के लिए दी गयी सूचना की तामीली के लिए आवेदन

(xiii) अभिकर्ता को करस्थम करने का लिखित प्राधिकार।

(xiv) साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए हाजिर होने के लिए किसी साक्षी या अन्य व्यक्ति को समन करने के लिए, या ऐसे प्रदर्श की, जो ऐसा शपथ-पत्र नहीं है, जो न्यायालय में पेश किये जाने के आसन्न प्रयोजन के लिए तैयार किया गया या फाइल करने के बारे में प्रथम आवेदन जो उस अर्जी से भिन्न है जिसमें आपराधिक आरोप या इत्तिला अन्तर्विष्ट है।

(xv) दाण्डिक मामलों में जमानतनामे, अभियोजन करने या साक्ष्य देने के लिए मुचलके और स्वीय उपसंजाति के लिये या अन्य बातों के लिए मुचलके।

(vxi) किसी अपराध के बारे में पुलिस अधिकारी को या उसके समक्ष या क्रमशः मद्रास तथा मुम्बई के सपरिषद गर्वनरों के अधीन के राज्यक्षेत्रों के ग्रामों के ग्रामणियों या ग्राम पुलिस का या के समक्ष पेश किये जाने वाले या रखे जाने वाले अर्जी, आवेदन, आरोप या इत्तिला।

(xvii) कैदी या अन्य व्यक्ति द्वारा जो विबाध्यता के या किसी न्यायालय या उसके अधिकारियो के अवरोध के अधीन है, आवेदन।

(xviii) लोक सेवक (भारतीय दण्ड संहिता या यथा-परिभाषित) नगरपालिका अधिकारी या किसी रेल कम्पनी के अधिकारी या सेवक का परिवाद।

(xix) सरकारी वनों में काष्ठ काटने की अनुज्ञा के लिए या ऐसे वनों से अन्यथा सम्बद्ध आवेदन।

(xx) सरकारी द्वारा आवेदक को शोध्य धन के संदाय के लिए आवेदन।

(xxi) 1856 के बंगाल चौकीदार अधिनियम संख्यांक 20 के अधीन किये गये चौकीदार निर्धारण के विरूद्ध या किसी नगरपालिका कर के विरूद्ध अपील की अर्जी।

(xxii) लोक प्रयोजनों के लिए सम्पत्ति के अर्जन से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्रतिकर के लिए आवेदन।

(xxiii) 1869 के बंगाल अधिनियम संख्यांक 2 (छोटा नागपुर की कतिपय भू-धृतियों को अभिनिश्चित, विनियमित और अभिलिखित करने के लिए) के अधीन नियुक्त विशेष आयुक्त को पेश की गयी अर्जियाँ।

(xxiv) भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 की धारा 45 तथा 48 के अधीन याचिकाएं।

अध्याय 3-क

प्रोबेट, प्रशासन-पत्र और प्रशासन प्रमाण-पत्र

19-क. जहाँ बहुत अधिक न्यायालय शुल्क संदत्त किया गया हो, वहां अवमुक्ति- जहाँ किसी बिल के प्रोबेट के लिए या प्रशासन-पत्र के लिए आवेदन करते समय किसी व्यक्ति ने मृतका की सम्पत्ति का प्राक्कलन उस मूल्य से जो तत्पश्चात् साबित होता है अधिक पर किया है और परिणामस्वरूप् उसने उस पर बहुत अधिक न्यायालय शुल्क संदत्त किया है वहां, यदि उस सम्पत्ति के सही मूल्य के अभिनिश्चय के छः मास के अन्दर ऐसा व्यक्ति उस स्थानीय क्षेत्र के, जिसमें प्रोबेट या प्रशासन-पत्र अनुदत्त किया गया है। मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी के समक्ष वह प्रोबेट या प्रशासन पत्र पेश करता है,

और ऐसे प्राधिकारी को मृतक की सम्पत्ति के शपथ पत्र या प्रतिज्ञान द्वारा सत्यापित एक विशिष्ट-युक्त तालिका और मूल्यांकन परिदत्त करता है,

और यदि उस प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि प्रोबेट या प्रशासन-पत्र पर विधि की अपेक्षा से अधिक शुल्क संदत्त किया गया था।

तो वहां उक्त प्राधिकारी,

(क) प्रोबेट या प्रशासन-पत्र पर के स्टाम्प को, यदि वह पहले ही रद्द न किया जा चुका हो, रद्द कर सकेगा।

(ख) उस पर जो न्यायालय शुल्क दिया जाना चाहिए था, उसे सूचित करने के लिए अन्य स्टाम्प प्रतिस्थापित कर सकेगा; और

(ग) स्वविवेकानुसार, उसके अन्तर का संदाय वैसे ही अनुज्ञात कर सकेगा जैसे खराब हुये स्टाम्पों की दशा में किया जाता है या उसका प्रतिसंदाय धन के रूप में प्रत्येक रूपये या उसके भाग के लिए दस पैसे की कटौती के बाद करार कर सकेगा।

19-**ख. जहां वे ऋण जो मृत व्यक्ति द्वारा शोध्य थे उसकी सम्पदा में से चुकाये गये हैं, वहां अवमुक्ति-** जब कभी ऐसे प्राधिकारी को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि निष्पादक या प्रशासन ने मृतक द्वारा शोध्य ऋणो की उतनी रकम चुकाई है जो सम्पदा की रकम या मूल्य में से काटे जाने पर उसे घटाकर इतनी धनराशि कर देती है कि यदि वह सम्पदा की पूरी सकल रकम या उसकी पूरी सकल मूल्य होती तो उस सम्पदा के बारे में अनुदत्त प्रोबेट या प्रशासन-पत्र पर इस अधिनियम के अधीन उस पर वास्तव में दी गयी शुल्क से कम शुल्क संदत्त करनी पड़ती,

तब ऐसा प्राधिकारी उस अन्तर को वापस कर सकेगा, परन्तु यह तब जबकि उसका दावा ऐसे प्रोबेट या प्रशासन-पत्र की तारीख के पश्चात तीन वर्ष के भीतर किया जाये।

परन्तु जब किसी विधिक कार्यवाही के कारण मृतक द्वारा शोध्य ऋण अभिनिश्चित या संदत्त नही किये गये हैं या उसकी चीज वस्तु प्रत्युद्धत नही हुई है और उपलभ्य नही हुई है और उसके परिणामस्वरूप निष्पादक या प्रशासक ऐसे अन्तर की वापसी का दावा उक्त तीन वर्ष की अवधि के अन्दर करने से निवारित हो

गया है, तब उक्त प्राधिकारी ऐसा दावा करने के लिए ऐसा अतिरिक्त समय अनुज्ञात कर सकेगा जो उन परिस्थितियों में युक्तियुक्त प्रतीत हो।

19-**ग. अनेक अनुदानों की दशा में अवमुक्ति-** जब कभी किसी सम्पदा की सम्पूर्ण सम्पत्ति के बारे में प्रोबेट या प्रशासन-पत्र का अनुदान किया जा चुका है या किया जाता है और इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य पूरा शुल्क दिया जा चुका है या दिया जाता है तब इस अधिनियम के अधीन कोई शुल्क प्रभार्य नहीं होगी। जब उसी सम्पदा की सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके भाग के बारे में वैसा ही अनुदान किया जाये।

जब कभी ऐसा अनुदान किसी ऐसी सम्पत्ति के बारे में किया जा चुका है या किया जाता है, जो किसी सम्पदा की भाग-रूप है, तो इस अधिनियम के अधीन उस समय वस्तुतः संदत्त शुल्क की रकम तब काट ली जायेगी जब उसी सम्पदा की उस सम्पत्ति के बारे में, जो या तो वही है जिसके सम्बन्ध में पूर्ववर्ती अनुदान था, या उस सम्पत्ति में सम्मिलित है, वैसा ही अनुदान किया जाता है।

19-**घ न्यास सम्पत्ति के बारे से प्रोबेटों की विधिमान्यता की घोषणा, यद्यपि वह सम्पत्ति न्यायालय शुल्क देने में सम्मिलित नहीं की गयी है**- किसी मृत व्यक्ति की बिल का प्रोबेट या उसकी चीजवस्तु का प्रशासन-पत्र जो इसके पहले या इसके पश्चात अनुदत्त होता है। विधिमान्य समझा जाएगा और ऐसी किसी जंगम या यथावर सम्पत्ति के, जिस पर मृतक का कब्जा या हक पूर्णतः या भागतः न्यासी के रूप में था प्रत्युद्धरण अन्तरण या समनुदेशन के लिए उसके निष्पादकों या प्रशासकों द्वारा काम में लाया जा सकेगा, यद्यपि ऐसी रकम या सम्पत्ति का मूल्य उस रकम या सम्पदा के मूल्य में सम्मिलित नहीं किया गया है जिसके बारे में न्यायालय शुल्क ऐसे प्रोबेट या प्रशासन-पत्र पर दी गयी थी।

19-**ड. उस दशा के लिए उपबन्ध जब प्रोबेट आदि पर बहुत कम न्यायालय शुल्क संदत्त किया गया है**- जहाँ किसी व्यक्ति ने प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के लिए आवेदन करते समय मृतक की सम्पदा का प्राक्कलन उस मूल्य से जो तत्पश्चात् साबित होता है कम पर किया है और परिणामस्वरूप उसने उस पर बहुत कम न्यायालय

शुल्क संदत किया है वहां उस स्थानीय क्षेत्र का, जिसमें प्रोबेट या प्रशासन-पत्र अनुदत्त किया गया है, मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी शपथ-पत्र का प्रतिज्ञान द्वारा मृतक की सम्पदा के मूल्य का सत्यापन किये जाने पर और उस सम्पूर्ण न्यायालय शुल्क का जो उस पर ऐसे मूल्य के बारे मे मूलतः संदत्त की जानी चाहिए थी उस अतिरिक्त शास्ति सहित संदाय किये जाने पर ऐसे उचित शुल्क की उस दशा में पांच गुनी होगी जब प्रोबेट या प्रशासन-पत्र अनुदान की तारीख से एक वर्ष के भीतर पेश किया जाता है और उस दशा में बीस गुनी होगी, जब वह उस तारीख से एक वर्ष एक पश्चात् पेश किया जाता है। ऐसे प्रोबेट या प्रशासन-पत्र पर मूलतः संदत्त न्यायालय शुल्क बिना काटे, किये जाने पर प्रोबेट या प्रशासन-पत्र को सम्यक् रूप से स्टाम्पित करा सकेगा:

परन्तु यदि आवेदन सम्पदा का सही मूल्य अभिनिश्चित किये जाने के और इस तथ्य का कि प्रोबेट या प्रशासन-पत्र पर आरम्भ में बहुत कम न्यायालय शुल्क संदत्त किया गया है, पता लगाने के पश्चात् छह माह के भीतर किया जाता है और यदि ऐसे प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि ऐसा शुल्क मूल के रूप के या उस समय वह बात कि सम्पदा का कोई विशिष्ट भाग मृतक का है, ज्ञात न होने के परिणामस्वरूप, और कपट करने के आशय के या उचित न्यायालय शुल्क के संदाय में विलम्ब करने के आशय के बिना, संदत्त की गयी थी, तो उक्त प्राधिकारी उक्त शास्ति का परिहार्य कर सकेगा, और जो शुल्क उस पर आरम्भ में संदत्त किया जाना चाहिए था उसे पूरा करने में जितनी कमी है केवल उसी के संदाय पर प्रोबेट या प्रशासन-पत्र को सम्यक् रूप से स्टाम्पित करा सकेगा।

19-च. धारा 19-ड. के अधीन प्रशासन-पत्र स्टाम्पित किये जाने के पहले प्रशासक उचित प्रतिभूति देगा- उस प्रशासन-पत्र की दशा में जिस पर प्रारम्भ में बहुत कम न्यायालय शुल्क संदत्त किया गया है उक्त प्राधिकारी उसे पूर्वोक्त रीति में सम्यक् रूप से स्टाम्पित तब तक नहीं करायेगा जब तक प्रशासक उस न्यायालय को जिसने प्रशासन-पत्र अनुदत्त किया है, ऐसी प्रतिभूति नहीं दे देता है, जैसी यदि मृतक

सम्पदा का सम्पूर्ण मूल्य उस समय अभिनिश्चित हो जाता तो विधि के अनुसार उसके अनुदान के समय दी जानी चाहिए थी।

19-छ न्यून संदाय का पता लगाने के छह माह के भीत निष्पादकों आदि का प्रोबेट आदि पर पूर्ण न्यायालय शुल्क का संदाय न करना- जहां किसी भूल के या उस समय यह बात कि सम्पदा का कोई विशिष्ट भाग मृतक का है, ज्ञात न होने के परिणामस्वरूप किसी प्रोबेट या प्रशासन-पत्र पर बहुत कम न्यायालय शुल्क संदत्त किया गया है वहां, यदि ऐसे प्रोबेट या प्रशासन पत्र मृतक की सम्पत्ति होना उस समय ज्ञात नही था, पता लगाने के पश्चात् छह मास के भीतर उक्त प्राधिकारी को आवेदन नहीं करता है और उस शुल्क की कमी को पूरा करने लिए जो ऐसे प्रोबेट या प्रशासन पत्र पर आरम्भ में दी जानी चाहिए थी संदाय नही करता है तो उसकी एक हजार रूपये की धनराशि और उतनी अतिरिक्त धनराशि जो उचित न्यायालय में शुल्क की कमी के दस प्रतिशत के बराबर हो, समपहृत हो जायेगी।

19-ज. प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के आवेदनों की सूचना का राजस्व प्राधिकारियों को दिया जाना और उस पर प्रक्रिया-(1) जहॉ प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के लिए आवेदन उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय में किया जाता है, वहां न्यायायल आवेदन की सूचना कलेक्टर को दिलायेगा।

(2) जहाँ यथापूर्वोक्त आवेदन उच्च न्यायालय में किया जाता है वहां उच्च न्यायालय उस आवेदन की सूचना उस स्थानीय क्षेत्र के, जिसमें वह उच्च न्यायालय स्थित है मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी को दिलायेगा।

(3) वह कलेक्टर जिसकी राजस्व-अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर मृतक की सम्पत्ति या उसका कोई भाग है किसी भी समय किसी ऐसे मामले के, जिसमें प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के लिए आवेदन किया गया है, अभिलेख का निरीक्षण कर या करा सकेगा और उसकी प्रतिलिपियां ले या लिवा सकेगा और यदि ऐसे निरीक्षण पर या अन्यथा उसकी यह राय है कि अर्जीदार से मृतक की सम्पदा का मूल्य अवप्राक्कलित किया है तो यदि कलेक्टर ठीक समझता है तो वह अर्जीदार से (स्वयं या अभिकर्ता द्वारा) हाजिर होने की अपेक्षा कर सकेगा जो साक्ष्य ले सकेगा और

मामले की ऐसी रीति से जॉच करा सकेगा जैसी वह ठीक समझता है और यदि फिर भी उसकी राय है कि सम्पत्ति का मूल्य अवप्राक्कलित किया गया है तो वह अर्जीदार से मूल्यांकन को संशोधित करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(4) यदि अर्जीदार मूल्यांकन को ऐसे संशोधित नहीं करता है कि कलेक्टर का उससे समाधान हो जाये तो जिस न्यायालय के समक्ष प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के लिए आवेदन किया गया था उससे उस सम्पत्ति के सही मूल्य की जांच करने के लिए कलेक्टर आवेदन कर सकेगा:

परन्तु यथास्थिति, इण्डियन सक्सेशन एक्ट, 1865 की धारा 317 (देखें भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 को तत्सम्बन्धित धारा) द्वारा अपेक्षित तालिका के प्रदर्शन की तारीख से एक वर्ष का अवसान हो जाने के पश्चात ऐसा कोई भी अभ्यावेदन नही किया जायेगा।

(5) यथापूर्वोक्त आवेदन किये जाने पर न्यायालय तद्नुसार जांच करेगा या करायेगा और उस निकटतम सही मूल्य का जो मृतक की सम्पत्ति का प्राक्कलित किया जाना चाहिए था, निष्कर्ष अभिलिखित करेगा। कलेक्टर जांच का पक्षकार समझा जायेगा।

(6) ऐसी किसी जांच के प्रयोजनों के लिए न्यायालय या वह व्यक्ति जो जॉच करने के लिए न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किया गया है प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के अर्जीदार की परीक्षा (चाहे स्वयं या कमीशन द्वारा) कर सकेगा और ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा जो सम्पत्ति के सही मूल्य को साबित करने के लिए पेश किये जाये। जाँच करने के लिए यथापूर्वोलिखित प्राधिकृत व्यक्ति अपने द्वारा लिया गया साक्ष्य न्यायालय को वापस कर देगा और जांच के परिणाम की रिपोर्ट देगा, और ऐसी रिपोर्ट तथा इस प्रकार लिया गया साक्ष्य कार्यवाही में साक्ष्य होंगे, और न्यायालय तब के सिवाय जबकि उसका वह समाधान हो जाता है कि रिपोर्ट गलत है, रिपोर्ट के अनुसार निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

(7) न्यायालय की उपधारा (5) के अधीन अभिलिखित निष्कर्ष अन्तिम होगा, किन्तु उसके कारण धारा19-ड॰ के अधीन किसी आवेदन का मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा ग्रहण किया जाना और निपटाया जाना वर्जित न होगा।

(8) [उ0प्र0 अधिनियम संख्या 19 वर्ष 1938 द्वारा निरस्त]

19-झ. प्रोबेट और प्रशासन-पत्र के बारे में न्यायालय शुल्क का संदाय-(1) अर्जीदार को प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के अनुदान का हकदार बनाने वाला कोई भी आदेश ऐसे अनुदान के लिए किये गये किसी आवेदन-पत्र पर तब तक नहीं किया जायेगा जब तक अर्जीदार सभी सम्पत्ति का मूल्यांकन आवेदन-पत्र की तिथि पर बाजार मूल्य के अनुसार और पश्चात कथित मृत्यु के समय पर भारत में मृतक के दायित्व को तृतीय अनुसूची में उपवर्णित रूप में दाखिल नहीं कर देता है और न्यायालय का समाधान नहीं हो पाता है कि उस मूल्यांकन पर प्रथम अनुसूची के संख्यांक 11 में वर्णित शुल्क का संदाय हो गया है।

स्पष्टीकरण-यदि अपनी मृत्यु के समय मृतक मिताक्षरा विधि द्वारा शासित संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य था तब परिवार के दायित्व और सम्पत्ति का ऐसा भाग, जो उसकी मृत्यु के तत्काल पहले किये गये विभाजन में मृतक को आवंटित किया गया था, इस उपधारा के अर्थ के अन्तर्गत मृतक के दायित्व और सम्पत्ति के रूप में माना जायेगा।

(2) कलेक्टर द्वारा धारा 19-ज की उपधारा (4) के अधीन किये गये किसी अभ्यावेदन के कारण प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के अनुदान में कोई विलम्ब नहीं किया जायेगा।

19-ञ. **प्रोबेट और प्रशासन-पत्र की वसूली-(1)** धारा 19-ज की उपधारा (6) के अधीन की गई जांच पर जितना अधिक शुल्क संदेय पाया गया है उसे और धारा 19-छ के अधीन शास्ति या समपहरण की मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र पर किसी भी कलेक्टर द्वारा निष्पादक या प्रशासक से ऐसे वसूल किया जा सकेगा मानो वह राजस्व का बकाया हो।

(2) मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी यथापूर्वोक्त शास्ति या समपहरण का अथवा धारा 19-ङ के अधीन उस न्यायालय शुल्क का, जो उस पूरे न्यायालय शुल्क से, जिसका संदाय किया जाना चाहिए था, अधिक है, पूर्णतः या भागतः परिहार्य कर सकेगा।

19-ट प्रोबेटों या प्रशासन पत्रों को धारा 6 और 28 का लागू न होना- धारा 6 या धारा 28 में कोई भी बात प्रोबेटों या प्रशासन पत्रों को लागू नही होगी।

अध्याय IV

नियम बनाने की शक्ति

20- उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति-उच्च न्यायालय निम्नलिखित मामलों में से किसी या सभी को विनियमित करने या उपबन्धित करने के लिए नियम बना सकेगा, यथा-

(क) उस न्यायालय द्वारा अपनी अपीलीय अधिकारिता में निकाली गई और ऐसी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर अन्य सिविल या दाण्डिक न्यायालयों द्वारा निकाली गई आदेशिकाओं की तामील और निष्पादन के लिए प्रभार्य शुल्क;

(ख) उन चपरासियों और अन्य सब व्यक्तियों का पारिश्रमिक जो न्यायालय की इजाजत से आदेशिकाओं की तामील और निष्पादन में नियोजित है;

(ग) अपने-अपने न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों से जारी आदेशिकाओं के निष्पादन और तामील के लिए आवश्यक रूप से नियोजित आदेशिका तामील करने वालों की संख्या के जिला मजिस्ट्रेट और जिला तथा सत्र न्यायाधीश द्वारा नियत; और

(घ) आदेशिकाओं के निष्पादन और तामील के लिए संदेय शुल्क को दर्शित करते हुये अंग्रेजी या जनभाषा में प्रत्येक न्यायालय की सारणी में सम्प्रदर्शन।

ऐसे सब नियम राज्य सरकार की समपुष्टि के अध्यधीन होंगे अैर ऐसी सम्पुष्टि शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंग और तदुपरि प्रभाव होगा मानो इस अधिनियम में अधिनियमित किया गया है।

21. मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी की नियम बनाने की शक्ति- मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी, राज्य सरकार की पूवै मंजूरी से निम्नलिखित मामलों में से किसी या सभी को विनियमित करने या उपबंधित करने के लिए इस अधिनियम से सेगत नियमों को बनायेगा, यथा-

(क) मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी और स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थापित राजस्व न्यायालय द्वारा जारी आदेशिकाओं की तामील और निष्पादन के लिए प्रभार्य शुल्क;

(ख) ऐसे आदेशिकाओं के निष्पादन और तामील के लिए आवश्यक रूप से नियोजित किये जाने वाले व्यक्तियों का पारिश्रमिक;

(ग) ऐसे आदेशिकाओं के निष्पादन और तामील के लिए आवश्यक रूप से नियोजित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को कलेक्टर द्वारा नियत करने;

(घ) धारा 11-ज की उपधारा (iii) द्वारा उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में कलेक्टरों का मार्गदर्शन;

(ङ) इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रयुक्त होने वाले स्टाम्पों की आपूर्ति।

(च) इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य किसी फीस को सूचित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले स्टाम्पों की संख्या;

(ज) परिस्थितियां जिसमें स्टाम्पों को नुकसान या खराब हुआ माना जायेगा;

(झ) परिस्थितियां जिसमें या ढंग जिसमें, प्रयुक्त, नुकसान या खराब हुए स्टाम्पों के लिए भत्त उदया जायेगा; और

(ञ) इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रयुक्त होने वाले स्टाम्पों के विक्रय का विनियमन, अकेले व्यक्ति जिसके द्वारा ऐसा स्टाम्प बेचा जायेगा और ऐसे व्यक्तियों का पारिश्रमिक और कर्तव्य:

परन्तु उच्च न्यायालय में धारा 3 के अन्तर्गत प्रयुक्त स्टाम्पों के मामलों में ऐसा नियम उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से बनाया जाएगा।

(1-क) राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति- राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य को साधारणतः कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाएगी।

(3) नियम का प्रकाशन- इस धारा के अन्तर्गत निर्मित नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा और ऐसे प्रकाशन पर ऐसा प्रभाव होगा मानो इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिनियमित किया गया है।

(22) [उ0प्र0 अधिनियम संख्या 19 वर्ष 1938 की धारा 24 द्वारा निरस्त]

(23) [उ0प्र0 अधिनियम संख्या 19 वर्ष 1938 की धारा 24 द्वारा निरस्त]

(24) [उ0प्र0 अधिनियम संख्या 12 वर्ष 1891 द्वारा निरस्त]

अध्याय v

शुल्को के उद्ग्रहण के ढंग के विषय में

24-क-न्यायालय शुल्क का नियन्त्रक राजस्व और स्टाम्प आयुक्त-(1) इस अधिनियम के अन्तर्गत शुल्क का उद्ग्रहण मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी के साधारण नियन्त्रक और अधीक्षण के अन्तर्गत होगा, जो इसके अधीक्षण में स्टाम्प आयुक्त और उतने अतिरिक्त स्टाम्प आयुक्त, उप-स्टाम्प आयुक्त, और सहायक स्टाम्प आयुक्त, जितने राज्य सरकार इसके लिए नियुक्त करे या इस उद्देश्य के लिए किसी अन्य अधीनस्थ अभिकरण द्वारा नियुक्त किये जाने के द्वारा सहायता प्राप्त करेंगे।

(2) अधिकारी और उपधारा (1) में निदेशित अभिकरण की पहुंच सभी अभिलेखों तक होगीं और इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने कर्त्तव्य के पालन के लिए उनके द्वारा अपेक्षित सभी सूचनाओं को उन्हे दिया जाएगा।

25. शुल्कों की स्टाम्प द्वारा वसूली- धारा 3 में निर्दिष्ट या इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य सभी शुल्कें स्टाम्पों द्वारा वसूल की जायेंगी।

25-क.नकदी में न्यायालय शुल्क की अदायगी- (1) धारा 25 में किसी चीज के होते हुये भी, अपेक्षित अंकित मूल्य के न्यायालय शुल्क के स्टाम्पों की अस्थायी कमी के मामलें में, पचास रूपये से अधिक न होने वाले दस्तावेज पर बकाया न्यायालय शुल्क दस्तावेज प्राप्त करने वाले उच्च न्यायालय के या अधीनस्थ न्यायालय के या प्राधिकारी के या अधिकारी के ऐसे लिपिक या अधीनस्थ अधिकारी को नकदी में अदा की जा सकेगी जैसा कि उस न्यायालय प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो और ऐसा अधीनस्थ अधिकारी या लिपिक उनके लिए रसीद स्वीकृत करेंगे जो सम्बन्धित दस्तावेज पर चिपकाया जायगा और ऐसे चिपकाए जाने का वही प्रभाव होगा मानों उस धनराशि के न्यायालय शुल्क का भुगतान इस अधिनियम के अनुसार सम्यक् रूप से कर दिया गया है।

(2) न्यायालय शुल्क के बदले में नकद प्राप्त करले वाला अधिकारी या लिपिक बैंक या खजाना में "0-30, स्टाम्प एण्ड रजिस्ट्रेशन शुल्क" शीर्ष के अन्तर्गत न्यायिक स्टाम्प्स से राजस्व के रूप में जमा करेगा, जैसी भी स्थिति हो।

(3) राज्य सरकार साधारण आदेश द्वारा इस प्रकार नकदी में सदत्त धनराशि के लेखा के रख-रखाव के सम्बन्ध में नियमों को बना सकेगी।

(4) न्यायालय शुल्क, स्टाम्पों के रद्दकरण और पंच करने के सम्बन्ध में आदेश और नियम उपधारा (1) में निदेशित रसीद के सम्बन्ध में यथावश्यक परिवर्तन सहित प्रवर्तित किया जायेगा।

(5) पचास रूपये से अधिक होने वाले दस्तावेज पर बकाया न्यायालय शुल्क के मामले में, यह समान परिस्थितियों में नकदी के रूप में खजाना (उपखजाना को शामिल करके) में जमा किया जा सकेगा और ऐसे संदायगी पर खजाना का भारसाधक अधिकारी ऐसे नकदी में संदत्त न्यायालय शुल्क की धनराशि को दस्तावेज पर पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करेगा और ऐसे पृष्ठांकन का वही प्रभाव होगा, मानो इस अधिनियम के अनुसार न्यायालय शुल्क का सम्यक् रूप से संदाय कर दिया गया है।

26.स्टाम्पों का छापित या आसंजक होना- इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य किसी शुल्क को द्योतन करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले स्टाम्प छापित या आसंजक अथवा भागतः छापित और भागतः आसंजक होंगे, जैसा कि समुचित सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर निर्देश दे।

27- स्टाम्पों की आपूर्ति संख्या, नवीकरण तथा का लेखा रखने के लिए नियम- (उ०प्र० अधिनियम संख्या 19 वर्ष 1938 द्वारा निरस्त)।

28- अनवधानता से ली गई दस्तावेज को स्टाम्पित किया जाना- कोई भी दस्तावेज जिस पर इस अधीनियम के अधीन स्टाम्प होना चाहिये विधिमान्य नहीं होगी यदि और जब तक वह उचित रूप से स्टाम्पित नही हैः

परन्तु यदि ऐसा कोई दस्तावेज भूल या अनवधानता से किसी न्यायालय या कार्यालय में ली ली जाती है, फाइल कर ली जाती है या उपयोग में लाई जाती है तो,यथास्थिति,पीठासीन न्यायाधीश या कार्यालय का प्रधान या उच्च न्यायालय की दशा में ऐसे न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, यदि वह ठीक समझे तो, आदेश दे सकेगा कि ऐसी दस्तावेज उससे निर्देशानुसार स्टाम्पित की जाये और ऐसी दस्तावेज के तद्नुसार स्टाम्पित हो जाने पर वह तथा उससे सम्बन्धित प्रत्येक कार्यवाही वैसी ही विधिमान्य होगी मानों वह आरम्भ में ही उचित रूप से स्टाम्पित थी।

29- संशोधित दस्तावेज- जहां ऐसी कोई दस्तावेज केवल भूल या सुधार करने और उसे पक्षकारों के मूल आशय के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से संशोधित की जाती है। वहां उस पर नया स्टाम्प शुल्क अधिरोपित करना आवश्यक न होगा।

30- स्टाम्प का रद्द किया जाना- कोई भी दस्तावेज जिस पर इस अधिनियम के अधीन स्टाम्प अपेक्षित है किसी भी न्यायालय या कार्यालय में जब तक स्टाम्प रद्द नही कर दिया जाय तब तक न तो फाइल की जायेगी और न उस पर कार्यवाही की जायेगी।

ऐसा अधिकारी जिसे न्यायालय या कार्यालय का प्रधान समय-समय पर नियुक्त करे ऐसी किसी दस्तावेज की प्राप्ति पर तुरन्त उसका रद्दकरण उसके चित्र शीर्ष को ऐसे पंच करके करेगा कि स्टाम्प पर अभिहित उसका मूल्य अछूता और पंच करने से निकला भाग जला दिया जायेगा या अन्यथा नष्टकर दिया जायेगा।

30-क. प्रतिदाय- जहां नुकसान हुए या खराब हुए स्टाम्प के लिए इस अधिनियम में भत्ता दे दिया जाता है, या जहां न्यायालय द्वारा स्वीकृत प्रमाण पत्र की संख्या पर प्रतिदाय अनुज्ञात किया जाता है, वहां कलेक्टर, उसके धारक के आवेदन पर और पेश किये गये स्टाम्प या प्रमाण-पत्र की असलियत के बारे में स्वयं सन्तुष्ट होने के बाद, किसी अन्य प्रकार के या उसी स्टाम्प के मूल्य या उसी धनराशि के उसके बदले में,या यदि इस प्रकार की अपेक्षा पर आवेदन करता है,मुद्रा में मूल्य या धनराशि देगा।

परन्तु बाद के मामले में प्रत्येक रूपये या उसके भाग के लिए दस पैसे की कटौती की जायेगी। ऐसी कोई कटौती उसमें नहीं की जायेगी जहां प्रतिदाय न्यायालय के आदेश जो अपील उलट दिया गया है या फेर-फार कर दिया गया है, के अनुसरण में न्यायालय शुल्क के सम्बन्ध में कृत है।

अध्याय VI

प्रकीर्ण

31- [**अधिनियम संख्या** 18 **वर्ष** 1923 **द्वारा निरस्त**]

32- [**अधिनियम संख्या** 12 **वर्ष** 1891 **द्वारा निरस्त**]

33- दाण्डिक मामलों में ऐसे दस्तावेजों का ग्रहण किया जाना, जिनके लिए उचित शुल्क संदत्त नही की गई है- जब कभी पीठासीन न्यायाधीश की राय में दण्ड न्यायालय में किसी ऐसे दस्तावेज का, जिसके बारे में उचित शुल्क संदत्त नही की गई है, फाइल या प्रदर्शित किया जाना न्याय की निष्फलता के निवारण के लिए आवश्यक है तब धारा 4 या धारा 6 में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे फाइल या प्रदर्शित किये जाने का प्रतिषेध करने वाली न समझी जायेगी।

34- स्टाम्पों से सम्बन्धित नियम को भंग करने एवं उनकी अनधिकृत बिक्री के लिए शास्ति-स्टाम्प बेचने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति जो इस धारा के अधीन बनाये गये किसी नियम की अवज्ञा करेगा, और ऐसे नियुक्त न किया गया व्यक्ति जो स्टाम्प बेचेगा या बिक्रय के लिए प्रस्थापित करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से , दण्डित किया जायेगा।

35- शुल्क को कम करने या उसका परिहार्य करने की शक्ति-समुचित सरकार इस अधिनियम से उपाबद्ध प्रथम या द्वितीय अनुसूची में वर्णित सब शुल्कों को या उनमें से किसी को भी अपने प्रशासनाधीन सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र में या किसी भाग में समय-समय पर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कम कर सकेगी या पारित कर

सकेगी, और उसी रीति में ऐसे आदेश को रद्द कर सकेगी या उसमें फेर-फार कर सकेगी।

36- उच्च न्यायालयों के कुछ अधिकारियों की शुल्कों के बारे में व्यावृत्ति- इस अधिनियम के अध्याय 2 या 5 की कोई भी बात फोर्ट बिलियम के उच्च न्यायालय के महालेखापाल को संदेय कमीशन को, या उन शुल्कों को जिन्हें उच्च न्यायालय का कोई अधिकारी अपने सम्बलम के अतिरिक्त प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात है, लागू नहीं होगी।

37- सभी शुल्क, जैसी स्थिति हो उस दिनांक को जिस दिन दस्तावेज न्यायालय फीस के लिए भारित था या प्रस्तुत किया गया था, इस अधिनियम के अन्तर्गत जैसा कि अनुसूची प्रथम एवं द्वद्तीय में दर्शाया गया है, भारित एवं एकत्र की जायेगी।

अनुसूची I

मूल्यानुसार शुल्क

[धारा 4 एवं 6(1) का स्पष्टीकरण देखें]

क्रमांक		उचित फीस
1	2	3
उन्हे छोड़कर जो धारा 3 में वर्णित है, किसी सिविल या राजस्व न्यायलय में उपस्थित वादपत्र, मुजराई या प्रतिदावा का अभिवचन करने वाला लिखित कथन या या अपील का ज्ञापन (जो इस अधिनियम में यथा उपबंधित नहीं है)	जब विवादग्रस्त विषयवस्तु का मूल्य या धनराशि- (i) एक सौ रूपये से अधिक न हो (ii) एक सौ रूपये से अधिक हो किन्तु तीन सौ रूपये से अधिक न हो, (iii) तीन सौ रूपये से अधिक हो, किन्तु पांच सौ रूपये अधिक न हो, (iv) पांच सौ रूपये से	प्रति पांच रूपये या उसके भाग के लिए पचास नये पैसे एक सौ रूपये पर खण्ड (i) के अन्तर्गत संदेय शुल्क और शेष पर, उसके भाग के प्रत्येक दस रूपये के लिए एक रूपया और पचीस नये पैसे तीन सौ रूपये पर खण्ड (ii) के अन्तर्गत संदेय शुल्क और शेष पर, प्रत्येक दस रूपये या उसके भाग के लिए एक रूपया और पचास नये पैसे पांच सौ रूपये पर खण्ड (iii) के अन्तर्गत

	अधिक हो किन्तु एक हजार रूपये से अधिक न हो, (v) एक हजार रूपसे से अधिक हो, किन्तु पांच हजार रूपये से अधिक न हो, और (vi) पांच हजार रूपये से अधिक हो किन्तु दस हजार रूपये से अधिक न हो, और (vii) दस हजार रूपये से अधिक हो किन्तु पचास हजार रूपये से अधिक न हो।	संदेय शुल्क और शेष पर, उसके भाग के प्रत्येक दस रूपये पर दो रूपया और पचीस नये पैसे एक हजार रूपये पर खण्ड (iv) के अन्र्तगत संदेय शुल्क और शेष पर, प्रत्येक एक सौ रूपये या उसके भाग के लिए बारह रूपये पांच हजार रूपये पर खण्ड (v) के अन्र्तगत संदेय शुल्क और शेष पर, प्रत्येक दो सौ रूपये या उसके भाग के लिए बीस रूपये दस हजार रूपये पर खण्ड (vi) के अन्र्तगत संदेय शुल्क और शेष पर, प्रत्येक पांच सौ रूपये या उसके भाग पर सैतीस रूपये और पचास नये पैसे
2. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1877 की धारा 9 के अन्र्तगत कब्जे के वाद-पत्र		पूर्ववर्ती मापमान में विहित रकम की आधी फीस
2-क. विभाजित की जाने वाली ईप्सित सम्पत्ति में अपने अंश के विभाजन के लिए अनुरोध करते हुए विभाजन के वाद में प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन या आवेदन		वही फीस, जो वाद-पत्र पर अदा की जाती यदि ऐसा वादी ने विभाजन के लिए वाद संस्थित किया होता।
2-ख. उ०प्र० कृषक अनुतोष अधिनियम, 1934 की धारा 23 के अधीन दाखिल अपील के ज्ञापन		वही फीस जो अनुच्छेद 1 के अन्र्तगत अपील के ज्ञापन पर उद्ग्रहणीय होती
3. [अधिनियम संख्या 8 वर्ष 1871 द्वारा निरस्त]		
4. निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन, यदि		वाद-पत्र या अपील के ज्ञापन पर उद्ग्रहणीय फीस।

आज्ञप्ति की तिथि से नब्बेवे दिन पर या उसके बाद पेश किया गया होता		
5. निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन, यदि आज्ञप्ति के नब्बेवें दिन के पहले पेश किया गया होता		वाद-पत्र या अपील के ज्ञापन पर उद्ग्रहणीय फीस का आधा
6. निर्णय से अनुवाद या प्रतिलिपि या आदेश आज्ञप्ति का प्रभाव रखने वाले या न रखने वाले।	यदि ऐसा निर्णय या आदेश उच्च न्यायलय के अतिरिक्त किसी सिविल न्यायालय द्वारा किसी राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या किसी प्रशासनिक या न्यायिक अधिकारी द्वारा परित किया गया है-	
	(क) यदि विषय-वस्तु का मूल्य या रकम पचास रूपये या पचास रूपये से कम है,	पचहत्तर नये पैसे
	(ख) यदि ऐसी रकम या ऐसा मूल्य पचास रूपये से अधिक है।	एक रूपए और पचास नये पैसे
	जब ऐसा निर्णय या आदेश उच्च न्यायलय द्वारा परित किया गया है।	तीन रूपये
7.आज्ञप्ति का प्रभाव रखने वाली आज्ञप्ति या आदेश की प्रतिलिपि	जब ऐसी आज्ञप्ति या आदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त किसी सिविल न्यायालय या किसी राजस्व न्यायालय द्वारा पारित की गयी हो-	
	(क) यदि वाद की विषय वस्तु का मूल्य या रकम, जिसमे ऐसा आदेश या	एक रूपये और पचास नये पैसे।

	आज्ञप्ति परित किया गया है, पचास रूपये या पचास रूपये से कम है	
	(ख) यदि ऐसा मूल्य या ऐसी रकम पचास रूपये से अधिक हो	तीन रूपये
	जब ऐसा आदेश या उच्च न्यायालय द्वारा आज्ञप्ति पारित किया गया हो।	सात रूपये और पचास नये पैसे
8. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1879 के अधीन स्टाम्प शुल्क के लिए दायी किसी दस्तावेज की प्रतिलिपि अब प्रत्याहृत किये गये मूल के बदले में कार्यवाही या वाद के किसी पक्षकार द्वारा छोड दिया गया हो।	(क) जब मूल पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क [एक रूपये] से अधिक न हो। (ख) किसी अन्य मामले में	मूल पर प्रभार्य शुल्क की धनराशि एक रूपये और पचास नये पैसे
8.क अटार्नी की शक्ति की प्रतिलिपि, जब किसी वाद या कार्यवाही में दाखिल की हो		एक रूपया पचास नये पैसे
9.ऐसी राजस्व या न्यायिक कार्यवाही या आदेश की प्रतिलिपि जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया है या किसी सिविल या दाण्डिक या राजस्व न्यायालय या कार्यालय से या किसी खण्ड के कार्यपालक प्रशासन का भार साधन करने वाले मुख्य अधिकारी के कार्यालय से	प्रति तीन सौ साठ शब्दों या उनके भाग के लिए	एक रूपया

ली गयी लेखा, विवरण रिपोर्ट या ऐसे ही अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि		
10 संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का अधिनियम संख्या 8) द्वारा निरसित।		
11.विल का प्रोबेट या प्रशासन-पत्र, चाहे विल उपाबद्ध हो या नहीं	(क) जब वह रकम या उस सम्पत्ति का मूल्य जिसके सम्बन्ध मे प्रोबेट या प्रशासन पत्र अनुदत्त किया जात है, एक हजार रूपये से अधिक है किन्तु दस हजार रूपये से अधिक नहीं है।	ऐसी रकम या ऐसे मूल्य का दो और आधा प्रतिशत
	(ख) जब ऐसी रकम या ऐसा मूल्य दस हजार रूपये से अधिक है, किन्तु पचास हजार रूपये से अधिक नहीं है,	ऐसी रकम या ऐसे मूल्य का तीन और एक चौथाई प्रतिशत
	(ग) जब ऐसी रकम या ऐसा मूल्य पचास हजार रूपये से अधिक है किन्तु एक लाख रूपये से अधिक नही है	ऐसी रकम या ऐसे मूल्य का तीन और तीन चौथाई प्रतिशत
	(घ) जब ऐसी रकम या ऐसा मूल्य एक लाख रूपये से अधिक है किन्तु दो लाख रूपये से अधिक नही है	एक लाख रूपये पर खण्ड (ग) के अन्र्तगत संदेय फीस और शेष पर पांच प्रतिशत
	(ड.) जब ऐसी रकम या ऐसा मूल्य दो लाख रूपये से अधिक है किन्तु तीन लाख रूपये से अधिक नही है,	दो लाख रूपये पर खण्ड (घ) के अन्र्तगत संदेय फीस और शेष पर छह और एक चौथाई प्रतिशत प्रतिशत

	(च)जब ऐसी रकम या ऐसा मूल्य तीन लाख रूपये से अधिक है किन्तु चार लाख रूपये से अधिक नही है,	तीन लाख रूपये पर खण्ड (ड.) के अर्न्तगत संदेय फीस और शेष पर सात और आधा प्रतिशत
	(छ) जब ऐसी रकम या ऐसा मूल्य चार लाख रूपये से अधिक है किन्तु पांच लाख रूपये से कम है,	चार लाख रूपये पर खण्ड (च) के अर्न्तगत संदेय फीस और शेष पर और शेष पर आठ और एक चौथाई प्रतिशत
	(ज) जब ऐसी रकम या ऐसा मूल्य पांच लाख रूपये से अधिक हैः	पांच लाख रूपये पर खण्ड (छ) के अर्न्तगत संदेय फीस और शेष पर आठ और तीन चौथाई प्रतिशत
	परन्तु जब भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम , 1925 या बाम्बे विनियमन संहिता, 1827 का संख्या 8 के अधीन सम्पदा में शामिल किसी सम्पत्ति के बारे में प्रमाण पत्र की स्वीकृति के बाद उसी सम्पदा के बारे में प्रशासन-पत्र या प्रोबेट स्वीकृत किया जाता है, तब बाद में स्वीकृति के बारे में संदेय फीस पूर्व स्वीकृति के बारे में संदत्त की रकम से घटा दी जाएगी।	
12.भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अर्न्तगत उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र	(क) जब धारा 374 के अर्न्तगत विनिर्दिष्ट होने वाली प्रतिभूतियों या ऋणों के रकम का योग या प्रतिभूति या ऋण के मूल्य या रकम बीस हजार रूपये से अधिक न हो।	ऐसी रकम या ऐसे मूल्य का दो और आधा प्रतिशत
	(ख) जब ऐसी रकम या	बीस हजार रूपये पर खण्ड (क) के

	ऐसा मूल्य बीस हजार रूपये से अधिक हो किन्तु पचास हजार रूपये से अधिक नहीं है	अर्न्तगत संदये फीस और शेष पर तीन और एक चौथाई प्रतिशत
	(ग) जब ऐसी रकम या ऐसा मूल्य पचास हजार रूपये अधिक है किन्तु एक लाख रूपये से अधिक न हो	पचास हजार रूपये पर खण्ड(ख) के अर्न्तगत संदेय फीस और शेष पर तीन और तीन चौथाई प्रतिशत
	(घ) जब ऐसी रकम या ऐसा मूल्य एक लाख रूपये से अधिक हो किन्तु दो लाख रूपये से अधिक न हो।	एक लाख रूपये पर खण्ड (ग) के अर्न्तगत संदेय फीस और शेष पर पांच प्रतिशत
	(ड.) जब ऐसी रकम ऐसा मूल्य दो लाख रूपये से अधिक हो किन्तु तीन लाख रूपये से अधिक न हो।	दो लाख रूपये पर खण्ड (घ) के अर्न्तगत संदेय शुल्क और शेष पर छः और एक चौथाई प्रतिशत
	(च) जब ऐसी रकम या ऐसा मूल्य तीन लाख रूपये से अधिक हो किन्तु चार लाख रूपये से अधिक न हो।	तीन लाख रूपये पर खण्ड (ड.) के अर्न्तगत संदेय शुल्क और शेष पर सात और आधा प्रतिशत
	(छ) जब ऐसी रकम या ऐसा मूल्य चार लाख रूपये से अधिक हो किन्तु पांच लाख रूपये से अधिक न हो।	चार लाख रूपये पर खण्ड (च) के अर्न्तगत संदेय शुल्क और शेष पर आठ और एक चौथाई प्रतिशत
	जब ऐसी रकम या ऐसा मूल्य पांच लाख रूपये से अधिक हो।	पांच लाख रूपये पर खण्ड (छ) के अर्न्तगत संदेय शुल्क और शेष पर आठ और तीन चौथाई प्रतिशत
	परन्तु अधिनियम की धारा 376 के अर्न्तगत आवेदन के मामले में संदेय फीस निम्नलिखित ढंग से	

	निकाली जायेगी- (i)प्रमाण-पत्र में पहले से विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों या ऋणों की रकम के योग और पूर्व कथित आवेदन पर विनिर्दिष्ट होने वाली प्रतिभूतियों और ऋणों को विनिश्चित करके (ii)उपर्युक्त खण्डों (क) से (ज) तक के प्रावधानों के अनुसार इसके सम्पूर्ण रकम पर संदेय फीस को संगणित करके लेकिन, इस शर्त के अध्यधीन कि धारा 372 के अधीन आवेदन पर विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों या ऋणों की रकम की अधिकता में रकम के बारे में उक्त खण्ड (क) से (ज) तक के लिए दर तदनुसार तीन और तीन चौथाई प्रतिशत,चार और तीन चौथाई प्रतिशत, पांच और तीन चौथाई प्रतिशत, सात और आधा प्रतिशत, नौ और आधा प्रतिशत, ग्यारह और एक चौथाई प्रतिशत, बारह और आधा प्रतिशत और तेरह और एक चौथाई प्रतिशत होना माना जायेगा। (iii)इस प्रकार निकाली गई फीस की सम्पूर्ण रकम में से धारा 372 के अधीन आवेदन पर प्रतिभूतियों या	

	ऋणों पर विनिर्देश के लिए आवेदन पर, यदि अधिनियम की धारा 376 के अधीन, पूर्वसंदत्त न्यायालय फीस में से धटाकर शेष पर संदेय फीस आवेदन पर विचाराधीन होगी।	
		टिप्पणी-(1)ऋण की रकम जिसके अन्तर्गत ब्याज आता है, वह रकम है जो उस दिन है जब ऋण को प्रमाण पत्र में सम्मिलित करने के लिए आवेदन किया जाता है, जहां तक वह रकम अभिनिश्चित की जा सकती है। (2)चाहे प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट किसी प्रतिभूति के बारे में कोई शक्ति अधिनियम के अधीन प्रदत्त की गयी हो या नही, और जहां ऐसी शक्ति इस प्रकार प्रदत्त की गयी है वहां चाहे वह शक्ति प्रतिभूति पर ब्याज पर लाभांश प्राप्त करने के लिए हो या प्रतिभूति का परक्रामण या अन्तरण करने के लिए हो या दोनो प्रयोजनों के लिए हो, प्रतिभूति का मूल्य उसका उस दिन का बाजार मूल्य है जब प्रतिभूति को प्रमाण-पत्र में सम्मिलित करने के लिए आवेदन किया जाता है जहां तक कि वह मूल्य अभिनिश्चित किया जा सकता है।
12-क. बम्बई संहिता, 1827 के विनियमन संख्यांक 8 के अधीन प्रमाण-पत्र।	(1)ऋणों और प्रतिभूतियों के बारे में	वही फीस जो उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1889 के अर्तगत प्रमाण-पत्र के बारे में या यथास्थिति, ऐसे प्रमाण-पत्र का विस्तार किये जाने के बारे में संदेय है।
	(2)ऐसी अन्य सम्पत्ति के	

	बारे में जिसकी बाबत प्रमाण अनुदत्त किया जाता है-	
	जब ऐसी सम्पत्ति की रकम या मूल्य एक हजार रूपयें से अधिक है किन्तु दस हजार रूपये से अधिक नही है।	ऐसी रकम या मूल्य का ढाई प्रतिशत
	जब ऐसी रकम या मूल्य दस हजार रूपयें से अधिक है किन्तु पचास हजार रूपये से अधिक नही है।	ऐसी रकम या मूल्य का तीन और एक चौथाई प्रतिशत
	जब ऐसी रकम या मूल्य पचास हजार रूपये से अधिक है।	ऐसी रकम या मूल्य का तीन और तीन चौथाई प्रतिशत
13.पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 44 के अन्र्तगत पंजाब उच्च न्यायालय में उसकी अधिकारिता के प्रयोग के लिए या पंजाब टेनेन्सी एक्ट, 1887 की धारा 84 के अधीन पंजाब के वित्तीय आयुक्त के न्यायालय में उसकी पुनरीक्षण अधिकारिता के प्रयोग के लिए आवेदन	जब रकम या विवादग्रस्त विषयवस्तु का मूल्य पच्चीस रूपये से अधिक नही है।	दो रूपये और पचास नये पैसे
	जब ऐसी रकम का मूल्य पच्चीस रूपये से अधिक है।	अपील के ज्ञापन पर उद्ग्रहणीय फीस
14. [****]		
15. [****]		

अनुसूची I (क्रमशः)

वादों को संस्थित करने पर उद्ग्रहणीय बाजार भाव के अनुसार शुल्क के दरों की सारणी

जब रकम या बिषय-वस्तु का मूल्य निम्नलिखित से अधिक है	किन्तु निम्नलिखित से अधिक नही है	उचित फीस		जब रकम या बिषय-वस्तु का मूल्य निम्नलिखित से अधिक है	किन्तु निम्नलिखित से अधिक नही है	उचित फीस	
1	2	3		1	2	3	
रू०	रू०	रू० पै०		रू०	रू०	रू० पै०	
....	5	0	50	100	110	11	25
5	10	1	00	110	120	12	50
10	15	1	50	120	130	13	75
15	20	2	00	130	140	15	00
20	25	2	50	140	150	16	25
25	30	3	00	150	160	17	50
30	35	3	50	160	170	18	75
35	40	4	00	170	180	20	00
40	45	4	50	180	190	21	25
45	50	5	00	190	200	22	50
50	55	5	50	200	210	23	75
55	60	6	00	210	220	25	00
60	65	6	50	220	230	26	25
65	70	7	00	230	240	27	50
70	75	7	50	240	250	28	75
75	80	8	00	250	260	30	00
80	85	8	50	260	270	31	25
85	90	9	00	270	280	32	50

90	95	9	50	280	290	33	75
95	100	10	00	290	300	35	00
300	310	36	50	590	600	87	50
310	320	38	00	600	610	89	75
320	330	39	50	610	620	92	00
330	340	41	50	620	630	94	25
340	350	42	50	630	640	96	50
350	360	44	00	640	650	98	75
360	370	45	50	650	660	101	00
370	380	47	00	660	670	103	25
380	390	48	50	670	680	105	50
390	400	50	00	680	690	107	75
400	410	51	50	690	700	110	00
410	420	53	00	700	710	112	25
420	430	54	50	710	720	114	50
430	440	55	00	720	730	116	75
440	450	57	50	730	740	119	00
450	460	59	00	740	750	121	25
460	470	60	50	750	760	123	50
470	480	62	00	760	770	125	75
480	490	63	50	770	780	128	00
490	500	65	00	780	790	130	25
500	510	67	25	790	800	132	50
510	520	69	50	800	810	134	75
520	530	71	75	810	820	137	00
530	540	74	00	820	830	139	25

540	550	76	25	830	840	141	50
550	560	78	50	840	850	143	75
560	570	80	75	850	860	146	00
570	580	83	00	860	870	148	25
580	590	85	25	870	880	150	50
880	890	152	75	2,700	2,800	393	50
890	900	155	00	2,800	2,900	405	50
900	910	157	25	2,900	3,000	417	50
910	920	159	50	3,000	3,100	429	50
920	930	161	75	3,100	3,200	441	50
930	940	164	00	3,200	3,300	453	50
940	950	166	25	3,300	3,400	465	50
950	960	168	50	3,400	3,500	477	50
960	970	170	75	3,500	3,600	489	50
970	980	173	00	3,600	3,700	501	50
980	990	175	25	3,700	3,800	513	50
990	1,000	177	50	3,800	3,900	525	50
1000	1,100	189	50	3,900	4,000	537	50
1,100	1,200	201	50	4,000	4,100	549	50
1,200	1,300	213	50	4,100	4,200	561	50
1,300	1,400	225	50	4,200	4,300	573	50
1,400	1,500	237	50	4,300	4,400	585	50
1,500	1,600	29	50	4,400	4,500	597	50
1,600	1,700	261	50	4,500	4,600	609	50
1,700	1,800	273	50	4,600	4,700	621	50
1,800	1,900	285	50	4,700	4,800	633	50

1,900	2,000	297	50	4,800	4,900	645	50
2,000	2,100	309	50	4,900	5,000	637	50
2,100	2,200	321	50	5,000	5,200	677	50
2,200	2,300	333	50	5,200	5,400	697	50
2,300	2,400	345	50	5,400	5,600	717	50
2,400	2,500	357	50	5,600	5,800	737	50
2,500	2,600	369	50	5,800	6,000	757	50
2,600	2,700	381	50	6,000	6,200	777	50
6,200	6,400	797	50	15,000	15,500	1,570	00
6,400	6,600	817	50	15,500	16,000	1,607	50
6,600	6,800	837	50	16,000	16,500	1,645	00
6,800	7,000	857	50	16,500	17,000	1,682	50
7,000	7,200	877	50	17,000	17,500	1,720	00
7,200	7,400	897	50	17,500	18,000	1,757	50
7,400	7,600	917	50	18,000	18,500	1,795	00
7,600	7,800	937	50	18,500	19,000	1,832	50
7,800	8,000	957	50	19,000	19,500	1,870	00
8,000	8,200	977	50	19,500	20,000	1,907	50
8,200	8,400	997	50	20,000	20,500	1,945	00
8,400	8,600	1,017	50	20,500	21,000	1,982	50
8,600	8,800	1,037	50	21,000	21,500	2,020	00
8,800	9,000	1,057	50	21,500	22,000	2,057	50
9,000	9,200	1,077	50	22,000	22,500	2,095	00
9,200	9,400	1,097	50	22,500	23,000	2,132	50
9,400	9,600	1,117	50	23,000	23,500	2,180	00
9,600	9,800	1,137	50	23,500	24,000	2,207	50

9,800	**10,000**	**1,157**	**50**	**24,000**	**24,500**	**2,245**	**00**
10,000	**10,500**	**1,195**	**00**	**24,500**	**25,000**	**2,282**	**50**
10,500	**11,000**	**1,232**	**50**	**25,000**	**25,500**	**2,320**	**00**
11,000	**11,500**	**1,270**	**00**	**25,500**	**26,000**	**2,357**	**50**
11,500	**12,00**	**1,307**	**50**	**26,000**	**26,500**	**2,395**	**00**
12,000	**12,500**	**1,345**	**00**	**26,500**	**27,000**	**2,432**	**50**
12,500	**13,000**	**1,382**	**50**	**27,000**	**27,500**	**2,470**	**00**
13,000	**13,500**	**1,420**	**00**	**27,500**	**28,000**	**2,507**	**50**
13,500	**14,000**	**1,457**	**50**	**28,000**	**28,500**	**2,545**	**00**
14,000	**14,500**	**1,495**	**00**	**28,500**	**29,000**	**2,582**	**50**
14,500	**15,000**	**1,532**	**50**	**29,000**	**29,500**	**2,620**	**00**
29,500	**30,000**	**2,657**	**50**				

और शुल्क के प्रत्येक पाँच सौ रूपए या उसके किसी भाग पर सैतीस रूपए पचास पैसें की दर से बढोत्तरी होने पर जैसे कि-

बाजार भाव	समुचित शुल्क	
(1)	(2)	
रू0	रू0	पै0
40,000	3,407	50
50,000	4,157	50
60,000	4,907	50
75,000	6,032	50
1,00,000	7,907	50
2,00,000	15,407	50
3,00,000	22,907	50

4,00,000	30,407	50
5,00,000	37,907	50

अनुसूची II

नियत शुल्क

क्रमांक		समुचित शुल्क
1. आवेदन या अर्जी	(क) जब यह सरकार से व्यवहार रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा सीमा शुल्क या उत्पादन शुल्क विभाग के किसी अधिकारी को या किसी मजिस्ट्रेट को पेश की जाती है और जब ऐसे आवेदन का विषय-वस्तु अनन्यतः उस व्यवहार के सम्बन्ध में है;	[पचास नये पैसे]
	या जब वह सीधे सरकार से किये गये वचनबन्ध के अधीन अस्थायी तौर पर व्यवस्थापित भूमि के धारक व्यक्ति द्वारा भू-राजस्व के किसी अधिकारी को पेश की जाती है, और जब आवेदन या अर्जी की विषय-वस्तु अनन्यतः उस वचनबन्ध के सम्बन्ध में है; या जब वह जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य अधिकारी को सुधार या निर्वाचन नामावली के लिये पेश की जाती है; या जब वह आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय में, या 1865 के अधिनियम संख्यांक 11 या 1868 के अधिनियम संख्यांक 16 की धारा 20 के अधीन गठित किसी लघुवाद न्यायालय में या कलेक्टर या राजस्व के अन्य अधिकारी को किसी	

	ऐसे वाद या मामले के सम्बन्ध में पेश की जाती है, जिसकी रकम या विषय-वस्तु का मूल्य पचास रूपये से कम है,	
	या जब वह किसी सिविल, दाण्डिक या राजस्व न्यायालय में या किसी बोर्ड में या कार्यपालक अधिकारी को ऐसे न्यायालय, बोर्ड अधिकारी द्वारा पारित किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को या ऐसे न्यायालय या कार्यालय के अभिलेख की किसी अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि या अनुवाद अभिप्राप्त करने के लिए पेश की जाती है,	पचास नये पैसे
	(ख) जब उसमें किसी अपराध का परिवाद या आरोप अन्तर्विष्ट है, और वह किसी दण्ड न्यायालय में पेश की जाती है, या जब वह स्थानीय निकाय जैसा कि नगरपालिका, बोर्ड, जिला परिषद या अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा कलेक्टर को बकाया की वसूली वारण्ट या किसी अन्य करस्थम (Other Distress), द्वारा करने के लिए प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की जाती है, या जिला मजिस्ट्रेट को आतिशबाजी करने या पुलिस अनुरक्षक की अनुज्ञा के लिए प्रस्तुत की जाती है, या जब जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष कम समय के लिए अनुज्ञाधारी सिनेमा कम्पनी के अतिरिक्त किसी प्रोग्राम या फिल्म दिखाने के लिए अनुज्ञा के लिए प्रस्तुत की जाती है;	एक रूपया पचास पैसे
	या जब जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या उसके अधीनस्थ अधिकारी को गांव पंचायत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत की जाती है, भारतीय आयुध अधिनियम, विष	एक रूपया पचास पैसे

	अधिनियम, विस्फोटक, अधिनियम, मंजिली गाड़ी अधिनियम, चलचित्र अधिनियम या अन्य किसी तत्सम प्रभावी नियम द्वारा अधिनियमित हो विशेषतः जब तक न्यायालय शुल्क देय से मुक्त हो प्रस्तुत की जाती है, या जब सिविल, दाण्डिक या राजस्व न्यायालय या कलेक्टर या राजस्व अधिकारी जिसका क्षेत्राधिकारी समान हो या कलेक्टर के अधीनस्थ या अपने कार्यपालक क्षमता का मजिस्ट्रेट जो इस अधिनियम में उपबन्धित हो, के समक्ष पेश की जाती है,	
	या जब वह न्यायालय में राजस्व या भाटक का निक्षेप करने के लिए है; या जब वह न्यायालय द्वारा भू-स्वामी से अपने अभिधारी को दिये जाने वाले प्रतिकर की रकम के अवधारण के लिए है;	एक रूपया पचास पैसे
	(ग) जब वह मुख्य आयुक्त या अन्य मुख्य नियन्त्रक राजस्व या कार्यपालक प्राधिकारी के यहां, या राजस्व या सर्किट के आयुक्त के यहां, या खण्ड के कार्यपालक प्रशासन के भारसाधक किसी मुख्य अधिकारी के यहां पेश की जाती है और उसके लिए इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबन्धित नही है।	तीन रूपये
	(घ) जब राजस्व परिषद में किसी निर्णय या आदेश के लिए पुनरीक्षण में है; (ड़) जब वह उच्च न्यायालय में पेश की जाती है-	[पांच रूपये]
	(1) कम्पनी के समापन के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनतर्गत	[एक सौ रूपये]
	(2) संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद	[एक सौ रूपये]

	227 के अन्तर्गत या उस निर्णय या आदेश, जो न्यायालय शुल्क (उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम) 1970 के प्रारम्भ के पहले दाखिल याचिका पर उसे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया था, को शामिल करके किसी निर्णय या आदेश के विरूद्ध विशेष याचिका के रूप में	
	(3) सम्पूर्ण भारत में प्रभाव रखने वाले प्रशासन-पत्र या प्रोबेट के लिए,	पच्चीस रूपये
	(4) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत किसी आदेश के पुनरीक्षण के लिए,	दस रूपये
	(4-क) उत्तर प्रदेश विक्रय कर अधिनियम, 1948 की धारा 11 के अन्तर्गत किसी आदेश के पुनरीक्षण के लिए,	दो सौ पचास रूपये
	(5) किसी अन्य मामले में जो अन्यथा उपबन्धित नहीं हैः	पाच रूपये
	परन्तु- (i) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1998 की धारा 491 या बन्दी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति से रिट के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 या इसके बारे में किसी अन्य कार्यवाही से सम्बन्धित रिट के अन्तर्गत याचिका या आवेदन पर खण्ड (ड़) के अन्तर्गत कोई शुल्क संदेय नही होगी। (ii) किसी मामले में सुनवाई के स्थगन की याचिका या आवेदन पर संदेय न्यायालय शुल्क खण्ड (ख), खण्ड (ग), खण्ड (घ) या खण्ड (ड़) के उपखण्ड (5) के अन्तर्गत, जैसी भी स्थिति हो, साधारण याचिका या	

	आवेदन पर संदेय न्यायालय शुल्क का दो गुना होगा। (च) जब मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) के अध्याय 4 के अन्तर्गत पेश की जाती है-	
	(i) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी या इसके अध्यक्ष या सचिव के समक्ष	[एक सौ रूपये]
	(ii) राज्य परिवहन प्राधिकारी या इसके अध्यक्ष या सचिव के समक्ष	[दो सौ रूपये]
1-क. किसी सिविल न्यायालय में यह आवेदन कि अन्य न्यायालय से अभिलेख मंगाए जाएं	जब न्यायालय आवेदन मंजूर कर लेता है और उसकी यह राय है कि ऐसे अभिलेखों के पारेषण में डाक का उपयोग अंतर्वलित है।	उस आवेदन पर इस अनुसूची के अनुच्छेद 1 के खण्ड (क), खण्ड (ख) या खण्ड (ङ) के अधीन उदगृहीत शुल्क के अतिरिक्त एक रूपया पचास नये पैसे
2. अकिंचन के तौर पर वाद लाने की इजाजत के लिए आवेदन		[पचहत्तर नये पैसे]
3. अकिंचन के तौर पर अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन	(क) जब वह जिला न्यायालय में पेश किया जाता है।	[एक रूपया पचीस नये पैसे]
	(ख) जब वह आयुक्त के यहां या उच्च न्यायालय में पेश किया जाता है।	[दो रूपये पचास नये पैसे]
4. 1838 के अधिनियम संख्यांक 16 या मामलातदार्रस कोर्ट एक्ट, 1876 के अधीन कब्जा अभिप्राप्त करने के वाद में वाद-पत्र या अपील का ज्ञापन।		पचहत्तर पैसे
5. अधिभोग के अधिकार को साबित या नासाबित करने के लिए वाद-पत्र या अपील का ज्ञापन।		[दो रूपये]
6. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898		एक रूपये

या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की किसी धारा के अधीन न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये आदेश के अनुसरण में दिया गया जमानतनामा या बाध्यता की अन्य लिखत जिसके लिए इन अधिनियमों द्वारा अन्यथा उपबन्धित नहीं है।		
7. भारतीय विवाह-विच्धेद अधिनियम, की धारा 49 के अधीन परिवर्तन। 8. [अधिनियम संख्या 12 वर्ष 1891 द्वारा निरस्त] 9. [अधिनियम संख्या 12 वर्ष 1891 द्वारा निरस्त]		[एक रूपया]
10. वकील, अटर्नी या प्लीडर जो यह संज्ञापित करे या प्रज्ञापित करे कि वह पक्षकार द्वारा प्रतिधारित किया गया है,	जब वह किसी एक मामले के संचालन के लिए-	एक रूपया पचास नये पैसे
द्वारा हस्ताक्षरित मुख्तारनामा वकालतनामा या कोई कागजात।	(क) उच्च न्यायालय से भिन्न किसी सिविल या दण्ड न्यायालय में या किसी राजस्व न्यायालय में या किसी कलेक्टर या मजिस्ट्रेट या अन्य कार्यपालक अधिकारी, के यहां, जो उनसे भिन्न है जो इस संख्याक के खण्ड (ख) और (ग) में वर्णित है, पेश किया जाता है	
	(ख) राजस्व, सर्किट या सीमा शुल्क के आयुक्त के यहां या खण्ड के कार्यपालक प्रशासन के भारसाधक अधिकारी के यहां, जो मुख्य राजस्व या कार्यपालक प्राधिकारी नही है, पेश किया जाता है।	[तीन रूपये]

	(ग) उच्च न्यायालय, मुख्य आयुक्त, राजस्व बोर्ड या अन्य मुख्य नियन्त्रक राजस्व या कार्यपालक प्राधिकारी के यहां पेश किया जाता है।	[पांच रूपये]
11. अपील का ज्ञापन, जब वह अपील डिक्री के या डिक्री का बल रखने वाले आदेश के विरूद्ध नहीं है और वह पेश किया जाता है।	(क) उच्च न्यायालय से भिन्न किसी सिविल न्यायालय में अथवा उच्च न्यायालय या मुख्य नियन्त्रक राजस्व या कार्यपालक प्राधिकारी से भिन्न किसी राजस्व न्यायालय में या कार्यपालक अधिकारी के यहां।	एक रूपया पचास नये पैसे
	(ख) प्रभाग के कमिश्नर के यहां।	[तीन रूपये]
	(ग) उच्च न्यायालय में या मुख्य आयुक्त या अन्य मुख्य नियन्त्रक कार्यपालक या राजस्व प्राधिकारी के यहां।	[पांच रूपये]
11-क. माध्यस्थम अधिनियम, 1940 की धारा 39 के अन्तर्गत अपील का ज्ञापन।	(क) जब किसी वाद के आदेश की अपील हो जहां प्रयोजन का क्षेत्राधिकार पांच हजार रूपये से अधिक न हो।	पन्द्रह रूपये
	(ख) किसी अन्य वाद में	एक सौ रूपये
12. कैवियट	किसी अन्य वाद में जहां राशि या सम्पत्ति का मूल्य कैवियट जमा के सम्बन्ध में हो।	
	(i) पांच हजार रूपये से अधिक न हो	छह रूपये पचीस नये पैसे
	(ii) पांच हजार रूपये से अधिक हो	बारह रूपये और पचास नये पैसे
13. 1859 के अधिनियम सं० 10 की धारा 26 या 1862 के बंगाल अधिनियम सं० 6 की धारा 9 या 1869 के बंगाल अधिनियम संख्या 8 की धारा 37 के अधीन आवेदन।		[छह रूपये पचीस नये पैसे]
14. संपरिवर्ती विवाह विघटन अधिनियम,1866 के		नौ रूपये पचास पैसे

अधीन वाद में अर्जी। 15. [अधिनियम संख्या 05 वर्ष 1908 द्वारा निरस्त] 16. [अधिनियम संख्या 06 वर्ष 1889 द्वारा निरस्त] 17. निम्नलिखित वादों में से हर एक में वाद-पत्र या अपील का ज्ञापन-		
(i) ऐसे सिविल न्यायालयों में से लेटर्स पेटेण्ट द्वारा स्थापित नहीं हैं किसी का या किसी राजस्व न्यायालय का संक्षिप्त विनिश्चय या आदेश (जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता, के आदेश 21,नियम 60, 61, 62 के अन्तर्गत पास न हुआ हो) परिवर्तित या अपास्त कराने के लिए वाद।		बाईस रूपये
(ii) राजस्व संदायी सम्पदाओं के स्वामियों के नामों के रजिस्टर में की कोई प्रविष्टि परिवर्तित या रद्द करने के लिए वाद।		बाईस रूपये
(iii) घोषणात्मक डिक्री अभिप्राप्त करने के लिए वाद, जहां कोई परिणामिक अनुतोष किसी वाद में, इस अधिनियम द्वारा उपबन्धित नहीं	(क) जब अधिकारिता के उद्देश्य के लिए अपील या वाद का मूल्य एक हजार रूपये से अधिक न हो।	तीस रूपये

है,प्रार्थित नहीं है।		
	(ख) जब ऐसा मूल्य एक हजार रूपये से अधिक हो किन्तु पांच हजार रूपये से अधिक न हो,	पचास रूपये
iV-[उ०प्र०अधिनियम संख्या 09 वर्ष 1938 द्वारा निरस्त] V-[उ०प्र०अधिनियम संख्या 09 वर्ष 1938 द्वारा निरस्त]	(ग) जब ऐसा मूल्य पांच हजार रूपये से अधिक हो किन्तु दस हजार रूपये से अधिक न हो, और	एक सौ रूपये
vi- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 91 या 92 के अन्तर्गत या धार्मिक विन्यास अधिनियम,1863 की धारा 14 के अन्तर्गत अनुतोष के लिए।	(घ) जब ऐसा मूल्य दस हजार रूपये से दो सौ रूपये अधिक होः	दो सौ रूपये
	परन्तु उच्च न्यायालय के समक्ष इसकी आरम्भिक अधिकारिता के अधीन दाखिल वाद में सभी मामलों में प्रभार्य शुल्क इस अनुच्छेद के अन्तर्गत दो सौ पचास रूपये होगी	
vii- प्रत्येक अन्य वाद जो इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित नहीं है।		
[18.(i) मध्यस्थम् अधिनियम, 1940 की धारा 14 या धारा 20 के अन्तर्गत आवदेन या उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंचाट अपास्त करने के लिए आवेदन	(क) जब पंचाट की विषय-वस्तु का बीस रूपये मूल्य पांच हजार रूपये से अधिक न हो।	बीस रूपये
	(ख) जब ऐसा मूल्य पांच हजार रूपये से अधिक हो किन्तु दस हजार रूपये से अधिक न हो।	एक सौ रूपये
	(ग) जब ऐसा मूल्य दस हजार रूपये से अधिक हो	दो सौ रूपये
(ii)मध्यस्थम् अधिनियम,1940		बीस रूपये

के अधीन अन्य आवेदन		
19. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन न्यायालय की राय के लिए प्रश्न का कथन करने वाला लिखित करार		बाईस रूपये
20. भारतीय विच्छेद अधिनियम की धारा 44 के अधीन आवेदन के सिवाय उस अधिनियम के अधीन प्रत्येक आवेदन और उस अधिनियम की धारा 55 के अधीन प्रत्येक अपील का ज्ञापन।		सैंतीस रूपये पचास नये पैसे
21. पारसी विवाह एवं विच्छेद अधिनियम, 1939 के अधीन अपील का ज्ञापन		सैंतीस रूपये पचास नये पैसे
21-क. विशेष विवाह अधिनियम,1954 या हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अधीन [ज्ञापन की याचिका या आवेदन]		सैंतीस रूपये पचास नये पैसे
22. किसी व्यक्ति के चुनाव पर आक्षेप करते हुए चुनाव याचिका	(क) खण्ड (ग) में वर्णित के सिवाय राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति या नगर परिषद, जिला पंचायत या नगर महापालिका या किसी अन्य स्थानीय विकास के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर प्रमुख या उप नगर प्रमुख के रूप में	दो सौ रूपये
	(ख) जो खण्ड (घ) में वर्णित है, उनके सिवाय नगर पालिका के सदस्य या विशिष्ट सदस्य के रूप में या नगर परिषद या जिला पंचायत या किसी अन्य स्थानीय निकाय के सदस्य के रूप में,	एक सौ पचास रूपये

	(ग) अधिसूचित शहर क्षेत्र समिति के अध्यक्ष या सभापति के रूप में,	पचास रूपये
	(घ) अधिसूचित या नगर समिति क्षेत्र के सदस्य के रूप में	पचीस रूपये

अनुसूची III

(देखें धारा 19-झ)

मूल्याकंन का प्रारूप (आवश्यक उपांतरों सहित, यदि कोई हों, प्रयोग में लाया जाये)

..... के न्यायालय में

मृतक.....की बिल के प्रोबेट (या की सम्पत्ति और उधारों के प्रश्मन), के मामलें में।

मैं.....सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/ शपथ लेता हूँ और कहता हूं कि मै मृतक.....का निष्पादक के निष्पादकों में से एक या का निकटतम मूल्य हूं, मैने इस शपथ पत्र में उपाबन्ध 'क' में यह सब सम्पत्ति और उधार सही तौर पर उपवर्णित कर दिये हैं जिन पर मृतक अपनी मृत्यु के समय कब्जा रखता था या हकदार था और जो मेरे हाथों में आ गये हैं या आने के सम्भाव्य हैं।

2. मैं यह भी कहता हूं के मैने उपाबन्ध 'ख' में से वे सब मदें सही तौर पर उपवर्णित कर दी हैं जिन्हें काटने के लिए मैं विधि द्वारा अनुज्ञात हूं।

3. मैं यह भी कहता हूं कि उक्त अस्तियां, केवल अन्तिम वर्णित मदों को सम्मिलित न करते हुए किन्तु उक्त मृतक की मृत्यु तारीख से सब भाटकों, ब्याज, लाभाशों और बढ़े हुए मूल्यों को सम्मिलित करते हुए, से कम मूल्य की है।

उपाबन्ध- 'क'

मृतक की जंगम और स्थावर सम्पत्ति का मूल्याकंन

	रू०	पै०
मृतक की जंगम और स्थावर सम्पत्ति का मूल्यांकन		

घर में तथा बैंकों में नगद, घर गृहस्थी का सामान, पहनने के वस्त्र, पुस्तके, सोना-चांदी, रत्न आदि। (निश्पादक या प्रशासक के सर्वोत्ततम विश्वास के अनुसार प्राक्कलित मूल्य लिखिए) सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में सम्पत्ति, जो लोक ऋण कार्यालय में अनतरणीय है। (उसका वर्णन और उस दिन की कीमत के हिसाब से मूल्य लिखिये, आवेदन करने के समय तक गणना करके ब्याज भी अलग लिखिये), स्थावर सम्पत्ति अर्थात..... (वृक्षों की दशा में निर्धारित मूल्य, यदि कोई हो, और उन वर्षों की संख्या जितनों के निर्धारण पर बाजार मूल्य प्राकल्लित किया गया है, और भूमि की दशा में उसका क्षेत्रफल, बाजार मूल्य और सब प्रोद्भूत भाटक दिखाते हुए वर्णन लिखिये) पट्टाधृत सम्पत्ति- (यदि मृतक कुछ वर्षों के उपरान्त पर्यवसेय पट्टा धारण करता था तो मृत्यु की तारीख को शोध्य बकाया तथा उस तारीख से आवेदन करने की तारीख तक प्राप्त या शोध्य भाटक पृथक् दिखाते हुए यह लिखिये कि कितने वर्षों के भाटक के बराबर लाभ-भाटक प्राक्कलित किया गया है) सार्वनिक कम्पनियों में सम्पत्ति-- (विशिष्टियाँ और उस दिन की कीमत की दर से गणना		

करके मूल्य लिखिये, ब्याज आवेदन करने के समय तक गणना करके पृथ्कतः लिखिये) जीवन बीमा पालिसी, बन्धक या अन्य प्रतिभूतियों में जैसे, बन्ध-पत्रों, बन्धकों, विनिमय-पत्रों, बचन-पत्रों और धन की अन्य प्रतिभूतियों में लगा हुआ रूपया। (सब को मिलाकर रकम लिखिये, ब्याज पृथकतः आवेदन करने के समय तक गणना करके लिखिये) बही ऋण ---------- (डूबे ऋण से भिन्न) व्यापार स्टाक----- (प्राक्कलित मूल्य, यदि कोई हो, लिखिये) अन्य सम्पत्ति जो पूर्वगामी शीर्षों में नही आई है (प्राक्कलित मूल्य यदि कोई हो, लिखिये) अनुलग्नक "ख" में दिखायी गई रकम जिस पर शुल्क संदेय नही है कटौती योग शुद्व योग		

अनुलग्नक "ख"

त्रृण आदि की अनुसूची

मृतक को शोध्य और उसके द्वारा देय ऋणों की रकम, जो विधि के अनुसार सम्पदा में से संदेय है अन्त्येष्टि व्यय की रकम बन्धक विल्लंगमों की रकम बिना फायदाप्रद हित और बिना फायदाप्रद हित प्रदत्त करने की साधारण शक्ति के न्यायतः धारित सम्पत्ति		
अन्य सम्पत्ति जिस पर शुल्क उद्हरणीय नहीं है। योग		